

# वार्षिक लेखा 2017-2018



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
बहादुरशाह जफर मार्ग  
नई दिल्ली - 110002  
[www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in)



# वार्षिक लेखा 2017-2018



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह जफर मार्ग

नई दिल्ली - 110002

[www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in)

© विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

मुद्रित : दिसम्बर 2018  
80 प्रतियां

प्रकाशक : सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग  
नई दिल्ली - 110002

मुद्रणकर्ता : चन्दु प्रेस, डी-97, शकरपुर, दिल्ली - 110092  
मो. : 9810519841, फोन : 011-22526936

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**  
**वर्ष 2017-2018 का वित्तीय विवरण**

**अनुक्रमणिका**

<b>ब्योरा</b>	<b>पृष्ठ</b>
<b>वित्तीय विवरण</b>	
31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र	1
31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा	2
1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के लिए प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखा	3
<b>अनुसूचियां और अनुलग्नक</b>	
तुलनपत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां (1 से 7)	4-11
आय और व्यय का भाग बनने वाली अनुसूचियां (8 से 16)	12-21
बैंकों में शेष राशि (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय) अनुलग्नक-1 के अनुसार	22-24
<b>राजस्व व्यय अनुदान संबंधी अनुलग्नक</b>	25-36
वार्षिक लेखा सामान्य भविष्य निधि	37-46
वार्षिक लेखा अंशदायी भविष्य निधि	47-52
<b>टिप्पण और नीतियां</b>	
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची-17)	53
आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पण (अनुसूची-18)	54-56
<b>पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन</b>	
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	57-65
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टिप्पणियाँ	66-73




**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**  
दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

निधियों के स्रोत	अनुसूची	2017-18	2016-17
कायिक निधि/ पूंजीगत निधि	1	3,597,921,241	3,958,061,239
विनिर्दिष्ट/ चिह्नित/ अक्षय निधियां	2	568,310,455	453,422,038
चालू देयताएं तथा प्रावधान	3	7,206,029,931	7,758,959,164
<b>कुल</b>		<b>11,372,261,627</b>	<b>12,170,442,442</b>
<b>निधियों का अनुप्रयोग</b>			
अचल परिसम्पत्तियां	4		
मूर्त परिसम्पत्तियां		38,801,859	42,058,869
अमूर्त परिसम्पत्तियां		-	-
चालू पूंजीगत कार्य		-	-
चिह्नित/ अक्षय निधियों से निवेश	5		
दीर्घकालीन		534,002,959	488,752,959
अल्पकालीन		-	-
चालू परिसम्पत्तियां	6	10,755,408,992	11,567,892,046
ऋण, अग्रिम तथा जमा राशियां	7	44,047,817	71,738,568
<b>कुल</b>		<b>11,372,261,627</b>	<b>12,170,442,442</b>
मूल लेखांकन नीतियां	17		
लेखा टिप्पणियां	18		

स्थान :

दिनांक :



(रनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव


**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**  
दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार आय एवं व्यय

(राशि रुपए में)

ब्योरा	अनुसूची	2017-18	2016-17
आय			
अनुदान/ राजसहायता	8	123,023,283,410	110,814,936,833
निवेशों से प्राप्त आय	9	5,971,301	1,543,193
अर्जित किया गया ब्याज	10	913,965,288	872,629,548
अन्य आय	11	6,022,680	8,510,257
<b>कुल (क)</b>		<b>123,949,242,679</b>	<b>111,697,619,831</b>
<b>व्यय</b>			
कर्मचारीवृद्धों को भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)	12	797,095,532	594,591,589
अनुदान, राजसहायता आदि पर व्यय	8	123,418,873,112	103,581,873,283
प्रशासनिक और सामान्य व्यय	13	320,503,194	210,810,342
परिवहन व्यय	14	5,995,018	7,165,054
मरम्मत और अनुरक्षण	15	4,806,187	15,051,585
वित्त लागतें	16	60,458	63,643
मूल्यहास	4	9,824,525	9,862,322
<b>कुल (ख)</b>		<b>124,557,158,026</b>	<b>104,419,417,818</b>
<b>व्यय की तुलना में आय अधिक होने के कारण शेष (क-ख)</b>		<b>-607,915,348</b>	<b>7,278,202,013</b>
विनिर्दिष्ट निधि को/ से अंतरण		-	-
भवन निधि		-	-
अन्य (कृपया उल्लेख करें)		-	-
कार्यिक पूंजी निधि में ले जाई गई अधिशेष राशि/शेष राशि			
<b>मूल लेखा संबंधी नीतियां</b>	<b>17</b>		
<b>लेखा टिप्पण</b>	<b>18</b>		

स्थान :


दिनांक :



(रनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव



**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**  
**दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार प्राप्ति एवं भुगतान**

(राशि रुपए में)

प्राप्तियां	2017-18	2016-17	भुगतान	2017-18	2016-17
<b>अथ शेष</b>			<b>व्यय</b>		
बैंक में शेष राशि	-	-	स्थापना व्यय (अनुसूची 12)	74,80,51,668	55,40,70,409
बचत खाता (मुख्यालय)	11,34,49,86,407	4,71,49,68,862	प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 13)	32,42,68,153	21,00,34,573
बचत खाता (क्षेत्रीय कार्यालय)	17,09,52,593	-1,24,03,845	यातायात व्यय (अनुसूची 14)	59,95,018	71,65,054
जमा खातों में (मुख्यालय)	48,87,52,959	40,80,49,700	मरम्मत और अनुरक्षण (अनुसूची 15)	48,06,187	1,50,51,585
भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/ नई पेंशन योजना के खातों में राशि	3,09,17,844	7,02,86,964	वित्त लागत (अनुसूची 16)	60,458	63,643
<b>प्राप्त हुए अनुदान</b>			<b>चिह्नित/ अक्षय निधियों के समक्ष भुगतान (अनुसूची 9)</b>	3,95,59,602	3,79,76,622
मंत्रालय से प्राप्त किए गए अनुदान	1,20,41,83,21,000	1,09,05,02,58,500	<b>चिह्नित/ अक्षय निधियों के समक्ष भुगतान (अनुसूची 2)</b>	-	49,58,41,601
विभिन्न संस्थानों द्वारा अनुदानों का प्रतिदाय	2,60,49,62,410	1,76,46,78,333	<b>अनुदानों पर व्यय</b>	1,23,41,88,73,112	1,03,58,18,73,283
चिह्नित निधि से प्राप्त राशि (अनुसूची 2)			<b>अन्य भुगतान</b>		
अग्रिमों की वसूली (अनुसूची 7)	2,76,90,751	3,60,86,708	अचल परिसम्पत्तियां (अनुसूची 4)	65,67,515	54,97,235
<b>ब्याज से प्राप्त आय</b>			धरोहर राशि की वापसी जेएमडी	1,12,21,45,000	-
जीपीएफ फंड पर ब्याज	35,30,658		Amount refund to IGNOU	9,18,75,000	-
बैंकों में जमा राशि	3,92,83,315	2,97,83,463	अन्य भुगतान	1,17,316	-
ऋण और अग्रिम राशि	3,39,795	1,90,805			
बचत बैंक खाता (अनुसूची 10)	91,36,25,493	87,24,38,743	<b>निवेश और अग्रिम</b>	-	-
<b>Receipt against Earmarked/ Endowment Funds (Sch 2)</b>	11,48,88,417	-	<b>अंत शेष</b>		
UGC NET-Closure of SB A/c & FD Maturity	86,37,04,526	-			
			बैंक में शेष राशि		
<b>अन्य आय (अनुसूची 11)</b>	60,22,680	85,10,257	भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/ नई पेंशन योजना खातों में राशि	3,46,97,467	3,09,17,844
अन्य प्राप्तियां		3,35,318	बचत खाता (मुख्यालय)	10,42,63,62,270	11,34,49,86,407
			बचत खाता (क्षेत्रीय कार्यालय)	27,05,97,123	17,09,52,593
			जमा खातों में (अनुसूची 5)	53,40,02,959	48,87,52,959
<b>कुल</b>	<b>1,37,02,79,78,848</b>	<b>1,16,94,31,83,808</b>	<b>कुल</b>	<b>1,37,02,79,78,848</b>	<b>1,16,94,31,83,808</b>

स्थान :


दिनांक :



(रनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


### अनुसूची 1- कायिक/ पूंजीगत निधियां

(राशि रुपए में)

ब्योरा	2017-18	2016-17
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	3,958,061,239	3,912,922,776
जमा : कायिक / पूंजीगत निधि में अंशदान	2,166,626	-
जमा : पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग की गई राशि की सीमा तक भारत सरकार से अनुदान		-
जमा : अक्षय निधि से क्रय की गई परिसम्पत्तियां	-	-
जमा : आय तथा व्यय खातों से वर्ष के लिए अंतरित घाटा / अधिशेष	-	-
Add: FDR Matured UGC NET	861,537,900	
Less: Amount refund to Ministry of HRD	1,122,145,000	
Less: Amount refund to IGNOU	91,875,000	
घाटा : उपयोग नहीं किए गए अनुदान	598,090,823	7,233,063,550
घाटा : लेखापरीक्षा की आपत्तियों के अनुरूप समायोजन	-	
आय तथा व्यय खातों से व्यय की तुलना में हुई अधिक आय का अंतरण	-607,915,348	7,278,202,013
<b>कुल</b>	<b>3,597,921,241</b>	<b>3,958,061,239</b>
आय तथा व्यय खातों से अंतरित घाटा	-	-
<b>वर्ष के अंत में शेष राशि</b>	<b>3,597,921,241</b>	<b>3,958,061,239</b>

स्थान :

दिनांक :



(रेनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


### अनुसूची 2- चिह्नित/ अक्षय निधियां

(राशि रुपए में)

ब्योरा	2017-18	2016-17
अक्षय निधि	8,803,083	8,526,796
मौलाना आजाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अध्येतावृत्ति योजना	289,441,861	5,656,134
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना	114,544,691	159,097,582
अनुसूचित जातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना	131,476,901	140,626
अनुसूचित जनजातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना	24,043,919	280,000,900
<b>कुल</b>	<b>568,310,455</b>	<b>453,422,038</b>

स्थान :


दिनांक :



(रेनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


### अनुसूची 3- चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि रूप में)

ब्योरा	2017-18	2016-17
<b>चालू देयताएं</b>		
जीवन बीमा का प्रीमियम- प्रतिनियुक्ति	-	-
समूह बीमा योजना – प्रतिनियुक्ति	-	-
जीआईएस (कर्मचारी)	39,392	6,480
लाइसेंस शुल्क	-	-
समय बाधित चेक	-	-
संपदा कार्यालय	298,857	-
न्यायालय के आदेश से की गई वसूलियां	-	-
वाहन अग्रिम- प्रतिनियुक्ति	-	-
निजी पक्षकारों से प्राप्त की गई धरोहर राशि – देयताएं	1,339,680	1,444,680
कर कटौती जमा की जाने वाली	22,395	930
भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रीमियम का अंतिम भुगतान		365,550
उपयोग नहीं किया गया अनुदान (अनु. 8)	6,634,972,727	7,233,063,550
<b>कुल (क)</b>	<b>6,636,673,051</b>	<b>7,234,881,190</b>
विविध लेनदेन	2,042,728	3,644,809
व्यय जिनका भुगतान किया जाना है	2,262,444	4,425,322
<b>कुल (ख)</b>	<b>4,305,172</b>	<b>8,070,131</b>
<b>प्रावधान</b>		
वि.अ.आ. की सामान्य भविष्यनिधि संबंधी देयताएं	562,195,715	510,490,306
वि.अ.आ. की सामान्य भविष्यनिधि संबंधी देयताएं	2,085,325	4,765,306
वि.अ.आ. की नई पेंशन योजना संबंधी देयताएं	770,668	752,232
<b>कुल (ग)</b>	<b>565,051,708</b>	<b>516,007,844</b>
<b>कुल (क+ख+ग)</b>	<b>7,206,029,931</b>	<b>7,758,959,164</b>

स्थान :


दिनांक :



(रेनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची 4- अचल परिसम्पत्तियां

परिसम्पत्तियों के शीर्ष	सकल ब्लॉक			वर्ष 2017-18 के लिए मूल्यहास			निवल ब्लॉक			
	दिनांक 01.04.2017 को अथ शेष	योग	कटौतियां	अंत शेष	मूल्यहास अथ शेष	वर्ष के लिए मूल्यहास	कटौतियां/समायोजन	कुल मूल्यहास	दिनांक 31.03.2017	दिनांक 31.03.2018
पुरानी अचल परिसम्पत्तियां				-						
फर्नीचर एवं साजो-सामान	11,130,428	746,303	247,500	11,629,231	1,236,714	1,162,923	-	2,399,637	10,466,308	11,130,428
विद्युतीय उपकरण	23,559,116	1,524,788		25,083,904	4,157,491	3,762,586	-	7,920,077	21,321,318	23,559,116
कम्प्यूटर के सहायक उपकरण	2,315,884	4,456,227		6,772,111	3,473,826	4,063,267	-	7,537,093	2,708,844	2,315,884
ग्रंथालय की पुस्तकें तथा जर्नल	406,612	23,915		430,527	174,262	129,158	-	303,420	301,369	406,612
मोटर वाहन	3,584,178			3,584,178	632,502	537,627	-	1,170,129	3,046,551	3,584,178
कार्यालयी उपकरण	1,062,651	63,782		1,126,433	187,527	168,965	-	356,492	957,468	1,062,651
<b>कुल</b>	<b>42,058,869</b>	<b>6,815,015</b>	<b>247,500</b>	<b>48,626,384</b>	<b>9,862,322</b>	<b>9,824,525</b>	<b>-</b>	<b>19,686,847</b>	<b>38,801,859</b>	<b>42,058,869</b>

(राशि रुपए में)

स्थान :

दिनांक :




(रवि बाला शर्मा)

अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)

उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)

वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)

सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


### अनुसूची 5- चिह्नित /अक्षय निधियों से निवेश

(राशि रुपए में)

ब्योरा	2017-18	2016-17
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में	230,340,000	230,340,000
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		-
बैंकों के पास सावधि जमा राशि	303,662,959	258,412,959
अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		-
<b>कुल</b>	<b>534,002,959</b>	<b>488,752,959</b>

स्थान :


दिनांक :



(रेनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


### अनुसूची 6- चालू परिसम्पत्तियां

(राशि रुपए में)

ब्योरा	2017-18	2016-17
<b>बैंक में शेष राशि तथा निवेश - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग</b>		
हाथ में नकदी	-	-
बचत खाता—मुख्यालय	10,426,362,270	11,344,986,407
बचत खाता—क्षेत्रीय कार्यालय	270,597,123	170,952,593
<b>बैंक में शेष राशि तथा निवेश - सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/ नई पेंशन योजना खाता</b>		
सामान्य भविष्य निधि— बचत खाता— केनरा बैंक— 441	31,841,475	25,400,307
अंशदायी भविष्य निधि — बचत खाता— केनरा बैंक— 442	2,085,325	4,765,306
नई पेंशन योजना— बचत खाता— केनरा बैंक— 812	770,668	752,232
<b>प्रोद्भूत आय</b>		
अक्षय निधि की सावधि जमा राशि पर प्रोद्भूत ब्याज	420,325	144,038
अंशदायी भविष्य निधि की सावधि जमा राशि पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-
सामान्य भविष्य निधि की सावधि जमा राशि पर प्रोद्भूत ब्याज	23,331,807	20,891,164
<b>कुल</b>	<b>10,755,408,992</b>	<b>11,567,892,046</b>

स्थान :


दिनांक :



(रनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

### अनुसूची 7- ऋण, अग्रिम और निक्षेप

(राशि रूपए में)

ब्योरा	2017-18	2016-17
<b>अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां</b>		
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पास अग्रिम	14,326,707	12,171,301
सरकार के पास जमा धरोहर राशि- परिसम्पत्तियां	364,224	365,667
गृह निर्माण अग्रिम	10,920	33,448
गृह निर्माण अग्रिम- प्रतिनियुक्ति		-
वाहन अग्रिम	302,001	181,893
त्योहार अग्रिम	83,075	380,075
कम्प्यूटर अग्रिम	139,021	232,445
जीवन बीमा योजना	33,272	-
समूह बीमा योजना		-
लाइसेंस शुल्क - सरकारी आवास		-
नई दिल्ली नगर पालिका		-
विविध प्राप्तियां - प्रतिनियुक्ति		-
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- नई पेंशन योजना की वसूली		-
अंशदायी भविष्य निधि खाते से प्राप्य ब्याज		-
बैठक तथा सम्मेलन के लिए अग्रिम	497,696	1,370,316
दूरभाष के लिए अग्रिम		-
लाइसेंस शुल्क के लिए अग्रिम		
रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ	8,251,106	49,370,597
छुट्टी यात्रा भत्ता अग्रिम	123,467	269,000
चिकित्सा अग्रिम	1,104,100	-
पूर्व भुगतान किया गया बीमा	56,822	88,618

जारी...



## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


### अनुसूची 7- ऋण, अग्रिम और निक्षेप

(राशि रूपए में)

ब्योरा	2017-18	2016-17
एनआईसीएसआई के पास अग्रिम	6,792,517	6,792,517
वर्दियों तथा पोशाकों हेतु अग्रिम	-	-
अग्रिम विविध कार्यालय व्यय	10,336,513	11,132
वार्षिक अनुरक्षण संविदा हेतु किया गया पूर्व भुगतान	438,876	468,559
प्रकाशन अग्रिम		-
यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता आधिकारिक अग्रिम	1,182,500	-
<b>अन्य परिसम्पत्तियां</b>		-
अन्य अग्रिम		-
अग्रदाय राशि हेतु अग्रिम	5,000	3,000
मोटरकार / मोटर साइकिल के रखरखाव हेतु अग्रिम	-	-
अन्य (जिसमें वसूल नहीं गई देय आय शामिल है)		-
<b>आगे ले जाया गया कुल योग</b>	<b>44,047,817</b>	<b>71,738,568</b>

स्थान :


दिनांक :



(रेनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


अनुसूची 8- अनुदान और राजसहायता (प्राप्त हुए अप्रतिसंहरणीय अनुदान)

(राशि रुपए में)

ब्योरा	योजनागत	2017-18	2016-17
	भारत सरकार		
आगे लाई गई शेष राशि	7,233,063,550	7,233,063,550	
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	120,418,321,000	120,418,321,000	109,050,258,500
Add: Income during the year	925,959,269	925,959,269	
<b>कुल</b>	<b>128,577,343,818</b>	<b>128,577,343,818</b>	<b>109,050,258,500</b>
Add: Refund of Unspent Grant	2,604,962,410	2,604,962,410	1,764,678,333
शेष	131,182,306,229	131,182,306,229	110,814,936,833
अव्ययित अनुदान का प्रतिदाय	123,418,873,112	123,418,873,112	
राजस्व व्यय हेतु उपयोग किया गया	1,128,460,390	1,128,460,390	103,581,873,283
Balance C/F (C)	<b>6,634,972,727</b>	<b>6,634,972,727</b>	<b>7,233,063,550</b>

स्थान :


दिनांक :



(रेनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


अनुसूची 9- निवेशों से प्राप्त आय

(राशि रुपए में)

ब्योरा	चिह्नित/ अक्षय निधियां		अन्य निवेश	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
ब्याज				
सरकारी प्रतिभूतियों पर	18,813,893	18,813,893	-	-
अन्य बांड / डिबेन्चर		-	-	-
सावधि जमा राशि पर ब्याज	25,831,073	19,775,825	-	-
बैंक बचत खातों पर ब्याज	885,937	930,098	-	-
<b>कुल</b>	<b>45,530,903</b>	<b>39,519,815</b>	-	-
चिह्नित/ अक्षय निधियों में अंतरण	39,559,602	37,976,622	-	-
शेष राशि	5,971,301	1,543,193	-	-

स्थान :

दिनांक :



(रेनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


अनुसूची- 10 अर्जित ब्याज

(राशि रुपए में)

ब्योरा	2017-18	2016-17
अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर	397,783,155	553,373,915
अनुसूचित बैंकों में फ्लेक्सी खातों पर	429,604,532	255,815,755
<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>		
केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल	33,582,555	17,191,575
पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता	8,427,727	8,083,806
पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय पुणे	15,356,574	15,452,588
दक्षिणी पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	18,051,482	4,793,597
दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्रीय बंगलूरु	5,210,377	6,477,494
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी	5,609,091	11,250,013
<b>ऋणों पर</b>		
कर्मचारिवृंद / स्टॉफ	339,795	190,805
अन्य	-	-
<b>देनदारों तथा अन्य से प्राप्य</b>	-	-
<b>कुल</b>	<b>913,965,288</b>	<b>872,629,548</b>

स्थान :

दिनांक :



(रेनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


### अनुसूची- 11- अन्य आय

(राशि रुपए में)

ब्योरा	2017-18	2016-17
<b>भूमि तथा भवन से आय</b>		
छात्रावास के कमरे का किराया	-	-
लाइसेंस शुल्क	-	-
प्रेक्षागृह/ क्रीड़ा स्थल/समागम केन्द्र आदि को किराये पर लेने हेतु प्रभार	-	-
वसूल किए गए विद्युत प्रभार	19,593	-
वसूल किए गए जल प्रभार	-	-
<b>कुल</b>	<b>19,593</b>	-
<b>संस्थान के प्रकाशनों का विक्रय</b>		
<b>समारोह के आयोजन से आय</b>		
वार्षिक कार्यक्रम/खेलकूद के आयोजन से सकल प्राप्तियां	-	-
घटाएं: वार्षिक कार्यक्रम/खेलकूद के आयोजन पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय	-	-
मेलों से सकल प्राप्तियां	-	-
घटाएं: मेलों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय	-	-
शैक्षिक दौरों हेतु सकल प्राप्तियां	-	-
घटाएं: शैक्षिक दौरों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय	-	-
अन्य (पृथक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाए तथा उद्घटित किया जाए)	-	-
<b>कुल</b>	-	-
<b>अन्य</b>		
सूचना का अधिकार संबंधी शुल्क	36,729	92,516
आवेदन भर्ती प्रारूपों की बिक्री	-	-
विविध प्राप्तियां (निविदा प्रारूपों, रद्दी कागजों आदि की बिक्री)	188,965	16,848
मानित विवि के लिए प्रक्रियागत शुल्क	4,500,000	-
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां	-	-
निशुल्क प्राप्त हुई परिसम्पत्तियां	-	-
संस्थानों, कल्याण निकायों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त अनुदान/दान	-	-
संगठन	-	-
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	1,277,393	8,014,478
सरकारी आवास का लाइसेंस शुल्क (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारिवृंदों हेतु आवास)	-	386,415
<b>कुल</b>	<b>6,003,087</b>	<b>8,510,257</b>
<b>कुल योग (क+ख+ग+घ)</b>	<b>6,022,680</b>	<b>8,510,257</b>

स्थान :


दिनांक :



(रनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


अनुसूची- 12 कर्मचारियों को किया गया भुगतान और लाभ (स्थापना व्यय)

(राशि रुपए में)

ब्योरा	वर्ष 2017-18			वर्ष 2016-17		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
वेतन और मजदूरी	255,427,042	33,989,931	289,416,973	106,422,523	13,720,008	120,142,531
महंगाई भत्ता	54,121,148	-2,582,853	51,538,295	132,841,381	13,030,929	145,872,310
यातायात भत्ता	19,957,183	1,652,184	21,609,367	20,786,642	1,969,594	22,756,236
मकान किराया भत्ता / नगर प्रतिकर भत्ता	36,013,057	3,490,626	39,503,683	21,549,041	2,697,864	24,246,905
संतान शिक्षा भत्ता	3,455,900	455,140	3,911,040	3,810,372	404,646	4,215,018
समयोपरि भत्ता	40,635	-	40,635	70,646	-	70,646
बोनस	-	241,578	241,578	1,056,040	76,493	1,132,533
धुलाई भत्ता	21,600	15,000	36,600	54,810	90	54,900
अधिकारियों का यात्रा भत्ता	4,346,347	313,400	4,659,747	3,103,573	866,074	3,969,647
स्थापना से जुड़ा यात्रा भत्ता	218,736	-31,765	186,971	604,630	37,200	641,830
छुट्टी वेतन नकदीकरण	21,771,998	65,717	21,837,715	18,052,540	171,631	18,224,171
प्रतिनियुक्ति भत्ता	221,852	-1,760	220,092	143,828	75,024	218,852
छुट्टी यात्रा रियायत स्थापना	1,874,937	267,377	2,142,314	2,186,614	131,297	2,317,911
छुट्टी यात्रा रियायत अधिकारी	2,012,423	108,472	2,120,895	2,584,966	272,914	2,857,880
चिकित्सा सुविधा	20,608,952	1,158,140	21,767,092	19,607,794	1,845,421	21,453,215
मानदेय	6,139,768	39,000	6,178,768	8,441,764	83,270	8,525,034
सीजीएचएस अंशदान	6,200,128	13,057	6,213,185	7,745,273	5,400	7,750,673
पेंशन और अवकाश वेतन	1,130,297	663,040	1,793,337	1,101,161	100,227	1,201,388
अंशदायी भविष्यनिधि में अंशदान	514,038	520,000	1,034,038	114,564	528,000	642,564
सामान्य भविष्यनिधि में अंशदान	-	-	-	-	-	-
बीमा से जुड़े निक्षेप	60,000	7,578	67,578	120,000	-	120,000
नई पेंशन योजना	4,691,716	978,497	5,670,213	3,482,689	870,582	4,353,271
पेंशन और उपदान	316,799,630	-	316,799,630	203,420,694	-	203,420,694
अंशदायी भविष्यनिधि ब्याज	105,786	-	105,786	403,380	-	403,380
<b>कुल</b>	<b>755,733,173</b>	<b>41,362,359</b>	<b>797,095,532</b>	<b>557,301,545</b>	<b>36,886,664</b>	<b>594,591,589</b>

स्थान :

दिनांक :



(रेनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची- 13 प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय

(राशि रुपए में)

ब्योरा	2017-18			2016-17		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
<b>अवसंरचना</b>						
जल और विद्युत व्यय	14,896,517	1,026,076	15,922,593	10,458,523	1,136,884	11,595,407
किराया, दरें तथा कर (सम्पत्ति कर सहित)	282,740	403,477	686,217	3,153,655	64,743	3,218,398
<b>संचार</b>						
डाक व्यय	2,692,092	975,499	3,667,591	2,772,998	1,266,533	4,039,531
दूरभाष पर किया गया व्यय	4,406,007	693,629	5,099,636	3,442,830	759,813	4,202,643
<b>अन्य</b>						
मुद्रण और लेखन सामग्री (उपभोग)	14,533,403	1,112,912	15,646,315	14,318,383	1,576,669	15,895,052
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	611,625	82,485	694,110	8,280	95,324	103,604
विज्ञापन	3,476,094	12,222	3,488,316	2,128,552	4,209	2,132,761
प्रकाशन	269,500	-	269,500	1,605,105	-	1,605,105
पत्रिकाएं और जर्नल	674,265	10,399	684,664	475,362	20,844	496,206
सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रभार			-	5,150,356	-	5,150,356
गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता	13,643,957	1,723,705	15,367,662	15,737,296	1,686,895	17,424,191
सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़े व्यय	14,938,442	7,000	14,945,442	9,803,078	-	9,803,078
कार्यालय से जुड़े विविध व्यय	7,471,712	2,760,123	10,231,835	1,945,306	1,742,262	3,687,568
मनोरंजन व्यय	5,644,196	392,495	6,036,691	5,481,160	477,633	5,958,793
कल्याण निधि	110,600	149,824	260,424	-	-	-
विधिक व्यय	15,506,556	33,963	15,540,519	18,930,409	35,700	18,966,109
रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ से जुड़े व्यय	92,986,031	-	92,986,031	14,984,563	-	14,984,563
कूलर को किराए पर लेने संबंधी प्रभार	326,660	-	326,660	289,000	-	289,000
परिसम्पत्तियों के विक्रय से हुआ घाटा			-	-	-	-
भवन के रखरखाव पर हुआ व्यय	4,369,876	-	4,369,876	2,837,735	-	2,837,735
वर्दियां तथा पोशाक	666,694	10,000	676,694	1,429,910	8,000	1,437,910

जारी...

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


अनुसूची- 13 प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय

(राशि रुपए में)

ब्योरा	2017-18			2016-17		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
संविदा पर नियुक्त कर्मचारिवृंदों को वेतन	78,048,312	26,385,722	104,434,034	50,063,231	22,700,385	72,763,616
बैठक और सम्मेलन पर हुए व्यय	6,396,884	-	6,396,884	12,418,006	-	12,418,006
क्षेत्रीय कार्यालयों के सदस्यों को मानदेय	-	2,172,976	2,172,976	-	450,000	450,000
क्षेत्रीय कार्यालयों के गैर-सदस्यों को मानदेय	-	466,500	466,500	-	1,325,000	1,325,000
सदस्यता और अभिदान	132,025	-	132,025	25,710	-	25,710
<b>कुल</b>	<b>282,084,188</b>	<b>38,419,006</b>	<b>320,503,194</b>	<b>177,459,448</b>	<b>33,350,894</b>	<b>210,810,342</b>

स्थान :


दिनांक :



(रेनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव



## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


### अनुसूची- 14 यातायात व्यय

(राशि रुपए में)

ब्योरा	2017-18			2016-17		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
वाहन (संस्थान के स्वामित्व वाले वाहन)						
चालू व्यय	2,104,857		2,104,857	1,858,029	-	1,858,029
मरम्मत और रखरखाव	507,307		507,307	435,302	-	435,302
बीमा व्यय	146,539		146,539	70,728	-	70,728
कार पार्किंग व्यय			-	-	-	-
यातायात व्यय	531,767		531,767	783,901	-	783,901
भाड़े/लीज़ पर लिए गए वाहन			-	-	-	-
भाड़ा/लीज़ व्यय			-	-	-	-
भाड़े/लीज़ पर लिए गए वाहन (टैक्सी) का व्यय	2,084,812	380,570	2,465,382	3,314,117	527,951	3,842,068
मोटर कार/मोटर साइकिल के रखरखाव का व्यय	82,348	156,818	239,166	46,079	128,947	175,026
<b>कुल</b>	<b>5,457,630</b>	<b>537,388</b>	<b>5,995,018</b>	<b>6,508,156</b>	<b>656,898</b>	<b>7,165,054</b>

स्थान :


दिनांक :



(रनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


अनुसूची- 15 मरम्मत और रखरखाव

(राशि रुपए में)

ब्योरा	2017-18			2016-17		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
कार्यालय	1,257,513	68,326	1,325,839	11,677,586	100,053	11,777,639
फर्नीचर और साजो-सामान	378,018	-	378,018	340,566	-	340,566
सयंत्र और मशीनरी			-	-	-	-
कार्यालयी उपकरण			-	-	-	-
कम्प्यूटर			-	-	-	-
फोटोकॉपी मशीन	514,915	-	514,915	217,775	-	217,775
दृश्य-श्रव्य उपकरण			-	-	-	-
साफ-सफाई की सामग्री तथा सेवाएं			-	-	-	-
वार्षिक अनुरक्षण प्रभार	2,507,503	79,912	2,587,415	2,630,340	85,265	2,715,605
उद्यान का रखरखाव			-	-	-	-
संपदा का रखरखाव			-	-	-	-
अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>4,657,949</b>	<b>148,238</b>	<b>4,806,187</b>	<b>14,866,267</b>	<b>185,318</b>	<b>15,051,585</b>

स्थान :


दिनांक :



(रनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


अनुसूची- 16 वित्त लागतें

(राशि रूपए में)

ब्योरा	2017-18			2016-17		
	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	कुल
बैंक प्रभार	237	39,467	39,704	2,403	61,240	63,643
बैंक द्वारा TDS कटौती	20,754		20,754			
<b>कुल</b>	<b>20,991</b>	<b>39,467</b>	<b>60,458</b>	<b>2,403</b>	<b>61,240</b>	<b>63,643</b>

स्थान :

दिनांक :



(रेनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**  
**वर्ष 2017-18 की स्थिति के अनुसार बैंकों में शेष राशि**

(राशि रुपए में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 603010100006490	योजनागत/गैर-योजनागत पुराने खाते	-	32,597,599
2	बैंक ऑफ बड़ौदा, खाता संख्या 05860100006818	योजनागत/गैर-योजनागत पुराने खाते	-	43,395,924
3	केनरा बैंक, खाता संख्या 8627101348	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापना और प्रशासनिक व्यय	668,357,686	106,737,647
4	केनरा बैंक, खाता संख्या 015710117339	योजनागत/ गैर-योजनागत पुराने खाते	-	473,531,838
5	केनरा बैंक, खाता संख्या 8627101001130	ई- विषयवस्तु	718,965,924	690,912,148
6	केनरा बैंक, खाता संख्या 3525101000402	अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	182,765,763	120,519,954
7	केनरा बैंक, खाता संख्या 3525101000403	अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए स्नातकोत्तर पेशेवर पाठ्यक्रमों हेतु खाता	63,335,278	82,455,721
8	केनरा बैंक, खाता संख्या 3525101000404	विश्वविद्यालय बैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	31,370,043	12,316,104
9	केनरा बैंक, खाता संख्या 3525101000762	अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने वाले शिक्षकों के लिए एमेरीटस अध्येतावृत्ति	50,647,625	27,292,863
10	केनरा बैंक, खाता संख्या 8627101001671	भारत- जर्मन कार्यनीति	-	77,134,843
11	केनरा बैंक, खाता संख्या 3525101000763	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	54,619,170	35,614,762
12	केनरा बैंक, खाता संख्या 3525101000764	विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान नेट अर्हता प्राप्त छात्रों के लिए जेआरएफ	887,015,533	1,000,184,510
13	केनरा बैंक, खाता संख्या 3525101000820	डॉ डी0एस0 कोठारी पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	97,101,083	63,076,059
14	केनरा बैंक, खाता संख्या 3525101000407	इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	35,519,734	4,140,002
15	केनरा बैंक, खाता संख्या 3525101000839	मूलभूत वैज्ञानिक शोध अध्येतावृत्ति	76,525,998	150,811,873
16	केनरा बैंक, खाता संख्या 3525101000915	स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका छात्रवृत्ति	117,931,829	8,824,880
17	केनरा बैंक, खाता संख्या 3525101000918	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना	2,180,408	32,355,399
18	केनरा बैंक, खाता संख्या 3525101000907	डॉ एस0 राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	58,245,436	2,678,183
19	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 1033009587	योजनागत/ गैर-योजनागत पुराने खाते	114,282,475	109,823,214
20	पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 1120000100010945	योजनागत/ गैर-योजनागत पुराने खाते	-	281,694
21	केनरा बैंक, खाता संख्या 3525101000405	अनुसूचित जातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	131,476,901	140,626
22	केनरा बैंक, खाता संख्या 3525101000406	अनुसूचित जनजातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	24,043,919	280,000,900
23	केनरा बैंक, खाता संख्या 3525101000880	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	114,544,691	159,097,582
24	केनरा बैंक, खाता संख्या 3525101000181	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति -अल्पसंख्यक	289,441,860	5,656,133
25	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 11084241754	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पेंशनधारियों का खाता	146,323	141,069
26	केनरा बैंक, खाता संख्या 015710221093	अक्षय निधि	4,901,255	4,719,799
27	बैंक ऑफ बड़ौदा, खाता संख्या 05860100022849	केन्द्रीय विश्वविद्यालय- एनईआर- अनुसूचित जाति	37,204,608	23,994,217
28	बैंक ऑफ बड़ौदा, खाता संख्या 05860100022850	केन्द्रीय विश्वविद्यालय- एनईआर- अनुसूचित जनजाति	24,724,776	22,440,099
29	बैंक ऑफ बड़ौदा, खाता संख्या 05860100022853	केन्द्रीय विश्वविद्यालय- एनईआर- सामान्य श्रेणी	161,419,656	53,748,430

जारी...


**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**  
**वर्ष 2017-18 की स्थिति के अनुसार बैंकों में शेष राशि**

(राशि रुपए में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
30	बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 306010110003357	केन्द्रीय विश्वविद्यालय- अनुसूचित जनजाति	50,709,096	54,998,396
31	बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 603010110003355	केन्द्रीय विश्वविद्यालय- सामान्य श्रेणी	737,939,801	817,194,742
32	बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 603010110003356	केन्द्रीय विश्वविद्यालय- अनुसूचित जाति	48,557,647	73,751,973
33	केनरा बैंक, खाता संख्या 8627101002051	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो	15,805,053	99,900,051
34	केनरा बैंक, खाता संख्या 8627101002063	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- गैर योजनागत	-	4,990,259,738
35	केनरा बैंक, खाता संख्या 8627101002064	एनईआर- सामान्य श्रेणी	-	445,842,740
36	केनरा बैंक, खाता संख्या 8627101002067	एनईआर- अनुसूचित जाति	-	300,333,451
37	केनरा बैंक, खाता संख्या 8627101002068	एनईआर- अनुसूचित जनजाति	-	101,219,912
38	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3481469799	दिल्ली विश्वविद्यालय- अनुसूचित जाति	24,055,820	240,360
39	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3481469846	दिल्ली विश्वविद्यालय- सामान्य श्रेणी	40,070,228	41,962,542
40	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3481470329	केन्द्रीय विश्वविद्यालय- गैर- योजनागत	219,739,547	202,705,502
41	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3481470363	दिल्ली विश्वविद्यालय- अनुसूचित जनजाति	21,958,512	10,099,099
42	पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 1120001200000333	'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- सामान्य श्रेणी' का पुराना खाता	-	212,305,725
43	पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 1120001200000342	'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-अनुसूचित जाति' का पुराना खाता	-	39,135,366
44	पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 1120001200000351	'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-अनुसूचित जनजाति' का पुराना खाता	-	19,920,733
45	केनरा बैंक, खाता संख्या 8627101002122	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-सामान्य श्रेणी	1,377,994,938	56,249,422
46	केनरा बैंक, खाता संख्या 8627101002123	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-अनुसूचित जाति	1,574,393,651	76,980,201
47	केनरा बैंक, खाता संख्या 8627101002124	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- अनुसूचित जनजाति	127,226,498	177,262,382
48	केनरा बैंक, खाता संख्या 8627101002244	NAD	3,760,111	-
49	केनरा बैंक, खाता संख्या 3525101001240	GTE/योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए/ GPAT के लिए ME/MTeck/M.Pharma हेतु स्नातकोत्तर अनुसूची	44,368,721	-
50	केनरा बैंक, खाता संख्या 3525101001241	BSR संकाय अध्येतावृत्ति	30,925,406	-
51	बैंक ऑफ महाराष्ट्र 60286126815	NER सामान्य	939,753,763	-
52	बैंक ऑफ महाराष्ट्र 60286127693	NER अ.जा.	60,244,779	-
53	केनरा बैंक, खाता संख्या 8627101002314	उत्कृष्टता प्राप्त संस्थान	1,030,000,000	-
54	बैंक ऑफ महाराष्ट्र 60286128018	NER अ.ज.जा.	132,090,725	-
	<b>कुल योग</b>		<b>10,426,362,270</b>	<b>11,344,986,407</b>

स्थान :


दिनांक :



(रनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**  
वर्ष 2017-18 की स्थिति के अनुसार बैंकों में शेष राशि


(राशि रुपए में)

क्षेत्रीय कार्यालयों के खाते

क्र. सं.	बैंक का नाम	मंत्रालय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, खाता संख्या 10177097711	मा0स0वि0 – हैदराबाद	-	-
2	केनरा बैंक, खाता संख्या 0606101053069	मा0स0वि0 – हैदराबाद	8,505,787	47,918,139
3	केनरा बैंक, खाता संख्या 0606101558263	मा0स0वि0 – हैदराबाद	806,666	4,613,370
4	केनरा बैंक, खाता संख्या 0606101560057	मा0स0वि0 – हैदराबाद	1,504,940	2,147,317
5	केनरा बैंक, खाता संख्या 0606101560058	मा0स0वि0 – हैदराबाद	1,958,419	8,865,200
6	बैंक ऑफ बड़ौदा, खाता संख्या 98060100000004	मा0स0वि0 – पुणे	-	-
7	केनरा बैंक, खाता संख्या, 0262101020153	मा0स0वि0 – पुणे	37,191,974	7,458,933
8	बैंक ऑफ बड़ौदा, खाता संख्या वि0अ0आ0-98060100001024	मा0स0वि0 – पुणे	4,557,891	728,199
9	केनरा बैंक, खाता संख्या 0262101000498	मा0स0वि0 – पुणे	8,035,294	2,536,255
10	केनरा बैंक, खाता संख्या 0262101000500	मा0स0वि0 – पुणे	271,112	1,461,032
11	केनरा बैंक, खाता संख्या 31222235725	मा0स0वि0 – गुवाहाटी	7,781,579	10,145,944
12	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 33916458208	मा0स0वि0 – गुवाहाटी	2,713,441	1,506,084
13	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 35909765460	मा0स0वि0 – गुवाहाटी	17,763,638	1,774,157
14	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 35909724423	मा0स0वि0 – गुवाहाटी	7,859,251	2,438,604
15	केनरा बैंक, खाता संख्या, 1861101004564	मा0स0वि0 – गुवाहाटी	-	-
16	पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 1625000100953235	मा0स0वि0 – कोलकाता	4,809,521	6,880,784
17	केनरा बैंक, खाता संख्या, 2549101011380	मा0स0वि0 – कोलकाता	9,136,398	2,970,691
18	केनरा बैंक, खाता संख्या, 2549101016202	मा0स0वि0 – कोलकाता	1,691	1,012
19	केनरा बैंक, खाता संख्या, 2549101016203	मा0स0वि0 – कोलकाता	1,502	68,757
20	केनरा बैंक, खाता संख्या, 2549101016204	मा0स0वि0 – कोलकाता	1,440	56,871
21	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 1101717823	मा0स0वि0 – बंगलूरु	5,969,679	5,854,350
22	केनरा बैंक, खाता संख्या, 0431101033961	मा0स0वि0 – बंगलूरु	221,173	4,398,881
23	केनरा बैंक, खाता संख्या, 0431101207736	मा0स0वि0 – बंगलूरु	18,414	1,673,771
24	केनरा बैंक, खाता संख्या, 0431101207737	मा0स0वि0 – बंगलूरु	14,401	1,329,041
25	केनरा बैंक, खाता संख्या, 7601	मा0स0वि0 – भोपाल	(8,790)	807,660
26	केनरा बैंक, खाता संख्या, 7602	मा0स0वि0 – भोपाल	64,592,038	10,710,810
27	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3371	मा0स0वि0 – भोपाल	86,499,092	44,606,732
28	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 4844	मा0स0वि0 – भोपाल	390,572	-
	<b>योग</b>		<b>270,597,123</b>	<b>170,952,593</b>
	<b>कुल योग</b>		<b>10,696,959,393</b>	<b>11,515,939,000</b>

स्थान :


दिनांक :



(रनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विभिन्न संस्थानों को वर्ष 2017-18 को किए गए अनुदान सहायता का भुगतान

(राशि रुपए में)

लेखा शीर्ष	योजना	मंत्रालय	राशि
राजस्व पूंजी शीर्ष (1,2,3,4,)	राजस्व पूंजी शीर्ष	मानव संसाधन मंत्रालय	123,418,873,112
<b>कुल योग</b>			<b>123,418,873,112</b>


राजस्व पूंजी क्षेत्रवार उपयोगिता (1-9)

(राशि रुपए में)

क्षेत्र	ब्योरा	राशि - 31,35,36
क्षेत्र-01	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	72,863,324,000
क्षेत्र-02	मानित विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	600,000,000
क्षेत्र-03	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के लिए अनुदान	49,941,762,649
क्षेत्र-04	मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई विशेष निधियां	13,786,463
<b>क</b>	<b>मानव संसाधन विकास का योग (1,2,3,4)</b>	<b>123,418,873,112</b>
क्षेत्र-05	अनुसूचित जाति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2,159,762,969
क्षेत्र-06	अनुसूचित जनजाति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	281,816,681
क्षेत्र-07	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	974,500,387
क्षेत्र-09	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	250,897,843
<b>ख</b>	<b>क्षेत्रीय कार्यालयों का योग (5,6,7,9)</b>	<b>3,666,977,880</b>
<b>(क+ख)</b>	<b>कुल योग</b>	<b>127,085,850,992</b>

स्थान :


दिनांक :



(रिनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग


### राजस्व पूंजी क्षेत्रवार उपयोगिता (1-9)

(राशि रुपए में)

क्षेत्र	ब्योरा	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
क्षेत्र-1	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	16,265,300,000	11,020,624,000	45,577,400,000	72,863,324,000
क्षेत्र-2	सम विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान	200,000,000	400,000,000	-	600,000,000
क्षेत्र-3	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाओं के लिए अनुदान	20,191,058,597	4,275,952,352	25,474,751,700	49,941,762,649
क्षेत्र-4	मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई विशेष निधि	13,786,463	-	-	13,786,463
क्षेत्र-5	अनुसूचित जातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2,159,762,969	-	-	2,159,762,969
क्षेत्र-6	अनुसूचित जनजातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	281,816,681	-	-	281,816,681
क्षेत्र-7	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	974,500,387	-	-	974,500,387
क्षेत्र-9	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	250,897,843	-	-	250,897,843
	<b>कुल</b>	<b>40,337,122,940</b>	<b>15,696,576,352</b>	<b>71,052,151,700</b>	<b>127,085,850,992</b>

स्थान :


दिनांक :



(रेनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव



## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

### राजस्व पूंजी शीर्षवार ब्यौरा

(राशि रूप में)

शीर्ष	ब्यौरा	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
<b>क्षेत्र-1</b>	<b>केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान</b>				
1(क)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	12,544,500,000	8,370,812,000	35,026,800,000	55,942,112,000
1(ख)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय- अनुसूचित जाति	579,000,000	458,905,000	1,696,200,000	2,734,105,000
1(ग)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय- अनुसूचित जनजाति	291,000,000	228,972,000	854,400,000	1,374,372,000
1(घ)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय- पूर्वोत्तर क्षेत्र	2,226,918,000	1,868,812,000	7,444,800,000	11,540,530,000
1(ङ)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय-पूर्वोत्तर क्षेत्र-अनुसूचित जाति	109,010,000	62,095,000	370,000,000	541,105,000
1(च)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय-पूर्वोत्तर क्षेत्र-अनुसूचित जनजाति	48,072,000	31,028,000	185,200,000	264,300,000
1(च)(I)	आईएमएस (बीएचयू) सीयू-सामान्य	435,800,000	-	-	435,800,000
1(च)(II)	आईएमएस (बीएचयू) सीयू-अजा	21,000,000	-	-	21,000,000
1(च)(III)	आईएमएस (बीएचयू) सीयू-अजजा	10,000,000	-	-	10,000,000
	<b>कुल</b>	<b>16,265,300,000</b>	<b>11,020,624,000</b>	<b>45,577,400,000</b>	<b>72,863,324,000</b>
<b>क्षेत्र-2</b>	<b>मानित विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान</b>				
2(क)	मानित विश्वविद्यालय	192,762,000	308,767,000	-	501,529,000
2(ख)	मानित विश्वविद्यालय- अनुसूचित जाति	4,826,000	60,821,000	-	65,647,000
2(ग)	मानित विश्वविद्यालय- अनुसूचित जनजाति	2,412,000	30,412,000	-	32,824,000
	<b>कुल</b>	<b>200,000,000</b>	<b>400,000,000</b>	-	<b>600,000,000</b>
<b>क्षेत्र-3</b>	<b>मानित विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान</b>				
3(क)		31(A)	31(B)		
3(क) (1)	प्रशासन राज्य वि. अ. आ.				-
3(क) (2)	क्षेत्रीय कार्यालय				-
3(क) (3)	ईएमएमआरसी एवं सीईसी	79,226,829		326,490,841	405,717,670
3(क) (4)	आईयूसी/जन संचार	367,944,000		768,729,906	1,136,673,906
3(क) (5)	अनुरक्षण पंजाब वि. वि.			2,001,680,000	2,001,680,000
3(क) (6)	मानित विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान	610,000,000		3,434,021,000	4,044,021,000
3(क) (7)	दिल्ली के महाविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान	2,569,690,140		16,876,891,953	19,446,582,093
3(क) (8)	बनारस हिंदू वि. वि. को अनुरक्षण अनुदान	40,000,000		533,184,000	573,184,000
3(क) (9)	राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुरक्षण अनुदान	163,398,913	294,499,275		457,898,188
3(क) (10)	विश्वविद्यालयों (क्षेत्रीय कार्यालय) की विशेष पैत्रक स्थिति				-
3(क) (11)	महाविद्यालयों के लिए ब्लॉक अनुदान	138,000	9,988,000		10,126,000
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	<b>26,934,230</b>	<b>144,764,713</b>		<b>171,698,943</b>
3(क) (12)	विश्वविद्यालयों (क्षेत्रीय कार्यालय) की विशेष पैत्रक स्थिति		7,658,760		7,658,760
3(क) (13)	वि. अ. आ. द्वारा चिहिनत् कम से कम दो अक	1,935,000			1,935,000
3(क) (14)	समान अवसर प्रकोष्ठ				-
3(क) (15)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण	215,057			215,057
3(क) (16)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए नेट हेतु अनुशिक्षण	97,337			97,337
3(क) (17)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण	84,950			84,950
3(क) (18)	दिव्यांगों हेतु योजनाएं	3,477,900			3,477,900
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	<b>180,000</b>			<b>180,000</b>
3(क) (19)	राज्य महाविद्यालयों के लिए महिला/पुरुष छात्रावास		1,719,976		1,719,976
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>		<b>150,164,796</b>		<b>150,164,796</b>
3(क) (20)	महिला अध्ययन	50,048,801	228,000		50,276,801
3(क) (21)	अजा/अजजा हेतु विशेष प्रकोष्ठ				-

(राशि रुपए में)

शीर्ष	ब्योरा	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(क) (22)	अल्पसंख्यक/अजा/अजजा एवं महिलाओं के लिए आवासीय अनुशिक्षण अकादमी की स्थापना	8,588,000			8,588,000
3(क) (23)	राज्य विश्वविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास		18,791,963		18,791,963
3(क) (24)	विश्वविद्यालय में खेल-कूद अवसंरचना तथा उपकरण		101,318,978		101,318,978
3(क) (25)	महाविद्यालय में खेल-कूद अवसंरचना तथा उपकरण		15,043,585		15,043,585
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	-	<b>122,828,084</b>	-	<b>122,828,084</b>
3(क) (26)	विशेष उद्देश्य हेतु अनुदान	26,157,030			26,157,030
3(क) (27)	स्वायत्तशासी महाविद्यालय	323,142	275,990		599,132
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	<b>118,428,980</b>	<b>23,349,860</b>	-	<b>141,778,840</b>
3(क) (28)	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय	177,551,200	278,844,000		456,395,200
3(क) (29)	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय	99,643,170	572,839,512		672,482,682
3(क) (30)	विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र	25,908,184	63,137,000		89,045,184
3(क) (31)	राजभाषा	16,153,123	6,250,000		22,403,123
3(क) (32)	यात्रा अनुदान	51,175,907	-		51,175,907
3(क) (33)	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम	186,260,366			186,260,366
3(क) (34)	आईपीआर जागरूकता एवं पेटेंट की सुसाध्यता की प्रोन्नति				-
3(क) (35)	पीआईएचईएडी				-
3(क) (36)	अकादमिक स्टॉफ महाविद्यालय	464,123,738			464,123,738
3(क) (37)	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	222,176,375	326,244,636		548,421,011
3(क) (38)	डिजिटल रिपोजिटरी				-
3(क) (39)	विश्वविद्यालय के ग्रंथालयों का स्वचालन				-
3(क) (40)	शोध निबंध (शोधगंगा)	17,523,814	8,360,000		25,883,814
3(क) (41)	विशेष सहायता योजना (एसएपी) कार्यक्रम				
	(क) विज्ञान	102,079,954	214,902,448		316,982,402
	(ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	88,639,250	6,690,312		95,329,562
3(क) (42)	राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र	33,008,654	8,850,933		41,859,587
3(क) (43)	महाविद्यालयों में संकाय विकास कार्यक्रम	14,601,911			14,601,911
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	<b>251,888,485</b>	-	-	<b>251,888,485</b>
3(क) (44)	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ	80,000	20,000		100,000
3(क) (45)	गैर विश्वविद्यालयी संस्थानों द्वारा व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति द्वारा चिह्नित कम से कम दो अकादमिक विषयों में शिक्षकों को विशेष मानदेय प्रदान करने की योजना				-
3(क) (46)	रमन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	9,075,965			9,075,965
3(क) (47)	रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति				-
3(क) (48)	रैगिंग (स्थापना) विरोधी शिविर				-
3(क) (49)	कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/सम्मेलन (महाविद्यालय)	3,503,432			3,503,432
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	<b>4,516,812</b>	-	-	<b>4,516,812</b>
3(क) (50)	इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)				-
	ऑन लाइन अंतरण (सामान्य)	60,137,172			60,137,172
3(क) (51)	रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	553,454			553,454
	ऑन लाइन अंतरण (सामान्य)	15,041,234			15,041,234
3(क) (52)	रैंक धारकों के लिए मानविकी एवं समाज विज्ञान में शोध अध्येतावृत्ति				-
3(क) (53)	राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय योजनाओं में खेलकूद मैडल विजेताओं/सहभागियों के लिए निःशुल्क शिक्षा	1,327,062			1,327,062
3(क) (54)	शोध वैज्ञानिक	28,785,667			28,785,667
3(क) (56)	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	19,887,961			19,887,961
	ऑन लाइन अंतरण (सामान्य)	324,150,983			324,150,983
3(क) (57)	नेट अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति	463,813,611			463,813,611

(राशि रुपए में)

शीर्ष	ब्योरा	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
	ऑन लाइन अंतरण (सामान्य)	6,525,689,934			6,525,689,934
3(क) (58)	डॉ एस0 राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)				-
	ऑन लाइन अंतरण (सामान्य)	236,600,707			236,600,707
3(क) (59)	डॉ डी0एस0 कोठारी पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	4,925,246			4,925,246
	ऑन लाइन अंतरण (सामान्य)	354,530,886			354,530,886
3(क) (60)	विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति तथा शोध एसोशिएटशिप	11,749,984			11,749,984
3(क) (61)	स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)	2,112,837			2,112,837
	ऑन लाइन अंतरण (सामान्य)	36,354,368			36,354,368
3(क) (63)	गेट योग्यता प्राप्त एम0ई0/एम0टेक0 अर्हता प्राप्त छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	107,836,144			107,836,144
	ऑन लाइन अंतरण (सामान्य)	29,265,409			29,265,409
3(क) (64)	विभिन्न अकादमिक एवं शोध कार्यों के लिए विषय/विभिन्न संघों/संगठनों के शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि	2,598,772			2,598,772
3(क) (65)	वृहद शोध परियोजनाएं				
	(क) विज्ञान	143,538,754	965,000		144,503,754
	(ख) मानविकी तथा समाज विज्ञान	56,979,816	1,550,001		58,529,817
3(क) (66)	लघु शोध परियोजनाएं (महाविद्यालय)	569,647			569,647
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	86,885,288	77,907,488	-	164,792,776
3(क) (67)	शिक्षकों के लिए शोध अवार्ड	125,201,667			125,201,667
3(क) (68)	मूलभूत वैज्ञानिक शोध के लिए अनुदान (बीएसआर) (ऑनलाइन योजना)	379,848,531	1,100,000		380,948,531
	ऑन लाइन अंतरण (सामान्य)	855,884,512			855,884,512
3(क) (69)	एमरीटस अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)				-
	ऑन लाइन अंतरण (सामान्य)	69,124,633			69,124,633
3(क) (70)	शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना तथा कैरियर परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना				-
3(क) (71)	क्षेत्र अध्ययन	8,177,531	6,331,104		14,508,635
3(क) (72)	युग प्रवर्तक भारतीय समाज चिंतकों पर विशेष अध्ययन	7,557,257	684,000		8,241,257
3(क) (73)	उच्च शिक्षा में वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों की शुरुआत तथा सामुदायिक महाविद्यालय	184,788,393	20,155,586		204,943,979
3(क) (74)	सामाजिक बहिर्वेशन और समावेशन की नीति का अध्ययन करने के लिए केन्द्र	91,224,380			91,224,380
3(क) (75)	ई- विषयवस्तु विकास				-
3(क) (76)	उच्चतर शिक्षा एवं वि. अ. आ. कार्यालय का ई-गवर्नेंस	1,600,000			1,600,000
3(क) (77)	विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, वि. अ. आ. के कार्यालयों के अकादमिक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण				-
3(क) (78)	वि. अ. आ. परिसर				-
3(क) (79)	प्रतिबद्ध देयताएं (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं)	260,291,166	832,931,814		1,093,222,980
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	650,000	150,146,747	-	150,796,747
3(क) (80)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकटापन्न भाषाओं के लिए केंद्रों की स्थापना	17,704,000	10,196,000		27,900,000
3(क) (81)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना	5,100,000			5,100,000
3(क) (82)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए महिला छात्रावासों का निर्माण करना				-
3(क) (83)	मानित विश्वविद्यालयों को अ.पि.व. अनुदान				-
3(क) (84)	बीआरपीजी हेतु वित्तीय सहायता				-

(राशि रुपए में)

शीर्ष	ब्योरा	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(क) (85)	वाई-फाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु राज्य वि. वि. को अनुदान		110,000		110,000
3(क) (86)	जम्मू एवं कश्मीर में 7 बालिका छात्रावासों का निर्माण-प्रधान मंत्री विकास पैकेज-2015		79,800,000		79,800,000
	<b>कुल योग</b>	16,355,265,655	3,558,648,561	23,940,997,700	43,854,911,916
3(क) -वि. वि. (क्ष.का.)		8,506,779,838			8,506,779,838
<b>3(क)- क्षेत्रीय कार्यालय</b>		489,483,795	676,820,448.00	-	1,166,304,243
	<b>कुल योग</b>	<b>16,355,265,655</b>	<b>3,558,648,561</b>	<b>23,940,997,700</b>	<b>43,854,911,916</b>
3(ख)					
3(ख) (1)	राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	20,422,215	41,101,970		61,524,185
3(ख) (2)	वि.अ.आ. (क्ष.का.) की विशेष पैतृक स्थिति				-
3(ख) (3)	राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान		2,200,100		2,200,100
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	33,425,142	59,656,955	-	93,082,097
3(ख) (4)	महाविद्यालयों की विशेष पैतृक स्थिति	800,000	40,000		840,000
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	-	441,171	-	441,171
3(ख) (5)	वि.अ.आ. कम से कम दो चिहन्त अकादमियों के अध्येताओं को विशेष मानदेय				-
3(ख) (6)	समान अवसर प्रकोष्ठ				-
3(ख) (7)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण	142,754			142,754
3(ख) (8)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए नेट हेतु अनुशिक्षण				-
3(ख) (9)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं				-
3(ख) (10)	दिव्यांगों हेतु योजनाएं				-
3(ख) (11)	महाविद्यालयों हेतु छात्र/छात्रा छात्रावास		513,943		513,943
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	-	12,418,232	-	12,418,232
3(ख) (12)	महिलाओं संबंधी अध्ययन	8,429,391	32,000		8,461,391
3(ख) (13)	अजा/अजजा के लिए विशेष प्रकोष्ठ				-
3(ख) (14)	अजा/अजजा/अल्पसंख्यक एवं महिलाओं हेतु आवासीय अनुशिक्षण अकादमी की स्थापना	1,375,000			1,375,000
3(ख) (15)	विश्वविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना तथा उपकरण		3,859,283		3,859,283
3(ख) (16)	विश्वविद्यालयों में खेल बुनियादी ढांचे और उपकरण		15,611,911		15,611,911
3(ख) (17)	महाविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना तथा उपकरण		4,480,432		4,480,432
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	-	18,130,183	-	18,130,183
3(ख) (18)	विशेष प्रयोजन हेतु अनुदान				-
3(ख) (19)	स्वायत्तशासी महाविद्यालय	68,030	58,103		126,133
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	22,505,578	-	-	22,505,578
3(ख) (20)	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय	32,400,000	19,600,000		52,000,000
3(ख) (21)	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय	13,041,728	72,597,792		85,639,520
3(ख) (22)	विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केंद्र	3,908,160	14,892,000		18,800,160
3(ख) (23)	राजभाषा				-
3(ख) (24)	यात्रा अनुदान	166,740			166,740
3(ख) (25)	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम				-
3(ख) (26)	पेटेन्ट्स हेतु आईपीआर जागरूकता और सुसाध्यता की प्रोन्नति				-

(राशि रुपए में)

शीर्ष	ब्योरा	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(ख) (27)	PIHEAD				-
3(ख) (28)	अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय	75,479,602			75,479,602
3(ख) (29)	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	25,734,400	8,117,600		33,852,000
3(ख) (30)	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में डिजिटल रिपोजिटरी				-
3(ख) (31)	विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों का स्वचालन				-
3(ख) (32)	शोध प्रबंध का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रस्तुतिकरण (शोधगंगा)	1,559,864	1,840,000		3,399,864
3(ख) (33)	विज्ञान के कार्यक्रमों हेतु विशेष सहायता योजना (एसएपी)				
	(क) विज्ञान	15,726,494	17,268,894		32,995,388
	(ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	13,495,474	506,556		14,002,030
3(ख) (34)	राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र	4,113,115	1,036,650		5,149,765
3(ख) (35)	महाविद्यालय में संकाय विकास कार्यक्रम				-
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	20,188,373	-	-	20,188,373
3(ख) (36)	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ				-
3(ख) (37)	गैर-विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा किए गए व्यय का प्रत्यर्पण				-
3(ख) (38)	रमन पोस्ट डॉक्टरल फ़ैलोशिप	762,224			762,224
3(ख) (39)	रैगिंग रोधी उपाय				-
3(ख) (40)	रैगिंग विरोधी शिविर (स्था.)				-
3(ख) (41)	कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/सम्मेलन (महाविद्यालय)				-
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	676,198	-	-	676,198
3(ख) (42)	इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)				-
	ऑनलाइन अंतरण (अजा)	3,000,273			3,000,273
3(ख) (43)	रैंक धारकों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)				-
	ऑनलाइन अंतरण (अजा)	1,149,132			1,149,132
3(ख) (44)	मेधावी छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान अध्येतावृत्ति				-
3(ख) (45)	खेल पदक विजेताओं के लिए निःशुल्क शिक्षा/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रतिभागियों				-
3(ख) (46)	अनुसंधान वैज्ञानिक				-
3(ख) (47)	रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	1,008,016			1,008,016
	ऑनलाइन अंतरण (अजा)	202,679,443			202,679,443
3(ख) (48)	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	2,376,270			2,376,270
	ऑनलाइन अंतरण	18,432,537			18,432,537
3(ख) (49)	नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति	30,052,956			30,052,956
	ऑनलाइन अंतरण	1,006,928,052			1,006,928,052
3(ख) (50)	डॉ. एस. राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)				-
	ऑनलाइन अंतरण (अजा)	11,333,840			11,333,840
3(ख) (51)	डॉ. डी0एस0 कोठारी पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)				-
	ऑनलाइन अंतरण (अजा)	14,161,859			14,161,859
3(ख) (52)	विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति तथा शोध एसोशिएटशिप				-
3(ख) (53)	स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)				-
	ऑनलाइन अंतरण (अजा)	159,000			159,000

(राशि रुपए में)

शीर्ष	ब्योरा	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(ख) (54)	अजा/अजजा छात्रों के व्यायसायिक पाठ्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति				-
	ऑनलाइन अंतरण (अजा)	21,934,887			21,934,887
3(ख) (55)	गेट योग्यता प्राप्त एम0ई0/एम0टेक0 अर्हता प्राप्त छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	9,900,754			9,900,754
3(ख) (56)	विभिन्न अकादमिक एवं शोध कार्यों के लिए विषय / विभिन्न संघों/संगठनों के शिक्षकों हेतु प्रोत्साहन				-
3(ख) (57)	वृहद शोध परियोजनाएं				
	(क) विज्ञान	3,214,683	252,877		3,467,560
	(ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	4,711,409			4,711,409
3(ख) (58)	लघु शोध परियोजनाएं (महाविद्यालय)				-
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	5,530,464	1,302,219	-	6,832,683
3(ख) (59)	शिक्षकों को शोध अवार्ड	26,100,195			26,100,195
3(ख) (60)	मूलभूत वैज्ञानिक शोध के लिए अनुदान (बीएसआर) (ऑनलाइन योजना)	15,084,424			15,084,424
	ऑनलाइन अंतरण (अजा)	46,666,377			46,666,377
3(ख) (61)	एमेरीटस अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)				-
	ऑनलाइन अंतरण (अजा)	496,000			496,000
3(ख) (62)	शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना तथा कैरियर परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना				-
3(ख) (63)	क्षेत्र अध्ययन		1,292,864		1,292,864
3(ख) (64)	युग प्रवर्तक भारतीय समाज चिंतकों पर विशेष अध्ययन	1,395,430	144,000		1,539,430
3(ख) (65)	उच्चतर शिक्षा में वृत्ति उन्मुखी पाठ्यक्रमों की शुरुआत तथा सामुदायिक महाविद्यालय	20,508,259	3,188,495		23,696,754
3(ख) (66)	सामाजिक बहिर्वेशन और समावेशन की नीति का अध्ययन करने के लिए केन्द्र	19,205,135			19,205,135
3(ख) (67)	ई- विषयवस्तु विकास				-
3(ख) (68)	उच्चतर शिक्षा एवं वि. अ. आ. कार्यालय का ई-गवर्नेंस				-
3(ख) (69)	वि. वि., महावि. एवं वि. अ. आ. कार्यालय के अधिकारियों के अकादमिक प्रशासन हेतु प्रशिक्षण				-
3(ख) (70)	वि. वि. परिसर				-
3(ख) (71)	प्रतिबद्ध देयताएं ( विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं)	25,589,428	68,333,282		93,922,710
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	8,000	28,590,306		28,598,306
3(ख) (72)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकटापन्न भाषाओं हेतु केंद्रों की स्थापना	2,038,000	661,000		2,699,000
3(ख) (73)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पीठ की स्थापना				-
3(ख) (74)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों का निर्माण				-
3(ख) (75)	मानित विश्वविद्यालयों में अपिव अनुदान				-
3(ख) (76)	BRPG हेतु वित्तीय सहायता				-
3(ख) (77)	वाई-फाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान				-
3(ख) (78)	जम्मू एवं कश्मीर में 7 बालिका छात्रावासों का निर्माण-प्रधान मंत्री विकास पैकेज-2015		16,800,000		16,800,000
3(ख) ई	वेतन			50,880,000	50,880,000
3(ख) एफ	7वां सीपीसी बकाया			186,532,000	186,532,000
3(ख) जी	7वां सीपीसी बकाया			768,446,000	768,446,000
3(ख) एच	7वां सीपीसी बकाया			27,824,000	27,824,000
	<b>कुल</b>	1,788,085,305	414,968,818	1,033,682,000	3,236,736,123

(राशि रुपए में)

शीर्ष	ब्योरा	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(ख)- ऑनलाइन		1,326,941,400			1,326,941,400
3(ख)- क्षेत्रीय कार्यालय		82,333,755	120,539,066	-	202,872,821
	<b>उप योग</b>	<b>1,788,085,305</b>	<b>414,968,818</b>	<b>1,033,682,000</b>	<b>3,236,736,123</b>
3(ग)					
3(ग) (1)	राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान	11,178,308	22,434,825		33,613,133
3(ग) (2)	विश्वविद्यालयों को विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करना (क्षेत्रीय कार्यालय)				-
3(ग) (3)	महाविद्यालयों को ब्लॉक अनुदान		688,000		688,000
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	16,820,705	30,203,559	-	47,024,264
3(ग) (4)	महाविद्यालयों को विशेष धरोहर का दर्जा प्रदान करना (क्षेत्रीय कार्यालय)				-
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	-	220,584	-	220,584
3(ग) (5)	वि. अ. आ. द्वारा कम से कम दो अकादमियों के छात्रों को विशेष मानदेय				-
3(ग) (6)	समान अवसर प्रकोष्ठ				-
3(ग) (7)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए उपचारी अनुशिक्षण	69,859			69,859
3(ग) (8)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए नेट हेतु अनुशिक्षण				-
3(ग) (9)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग) तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश करने हेतु अनुशिक्षण कक्षाएं				-
3(ग) (10)	दिव्यांगों हेतु योजनाएं				-
3(ग) (11)	महाविद्यालयों में महिला छात्रावास		103,724		103,724
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	-	6,209,117	-	6,209,117
3(ग) (12)	महिलाओं संबंधी अध्ययन	3,902,386	72,000		3,974,386
3(ग) (13)	अजा/अजजा हेतु विशेष प्रकोष्ठ				-
3(ग) (14)	अल्पसंख्यकों/अजा/अजजा एवं महिलाओं के लिए आवासीय अनुशिक्षण अकादमी की स्थापना	787,000			787,000
3(ग) (15)	राज्य विश्वविद्यालयों के लिए महिला छात्रावास		1,289,641		1,289,641
3(ग) (16)	विश्वविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना तथा उपकरण		9,308,355		9,308,355
3(ग) (17)	महाविद्यालयों में खेलकूद अवसंरचना तथा उपकरण		1,832,680		1,832,680
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	-	8,785,091	-	8,785,091
3(ग) (18)	विशेष प्रयोजन हेतु अनुदान				-
3(ग) (19)	स्वायत्तशासी महाविद्यालय	34,015	29,052		63,067
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	11,252,793	-	-	11,252,793
3(ग) (20)	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले विश्वविद्यालय	18,689,600	29,352,000		48,041,600
3(ग) (21)	उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय	6,476,064	35,706,896		42,182,960
3(ग) (22)	विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले केन्द्र	1,214,080	4,744,000		5,958,080
3(ग) (23)	राजभाषा				-
3(ग) (24)	यात्रा अनुदान				-
3(ग) (25)	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम				-
3(ग) (26)	पेटेन्ट्स हेतु आईपीआर जागरूकता और सुसाध्यता का उन्नयन				-
3(ग) (27)	PIHEAD				-
3(ग) (28)	अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय	34,216,255			34,216,255
3(ग) (29)	अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्र	17,694,992	4,058,800		21,753,792
3(ग) (30)	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में डिजिटल रिपोजिटरी				-

(राशि रुपए में)

शीर्ष	ब्योरा	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
3(ग) (31)	विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों का स्वचालन				-
3(ग) (32)	शोध प्रबंध का इलेक्ट्रानिक तरीके से प्रस्तुतिकरण (शोधगंगा)	779,932	920,000		1,699,932
3(ग) (33)	विज्ञान के कार्यक्रमों हेतु विशेष सहायता योजना (एसएपी)				
	(क) विज्ञान	7,830,106	8,753,550		16,583,656
	(ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	6,060,979	236,016		6,296,995
3(ग) (34)	राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र	2,728,558	518,325		3,246,883
3(ग) (35)	महाविद्यालयों में संकाय विकास कार्यक्रम	450,000			450,000
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	104,303	-	-	104,303
3(ग) (36)	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ				-
3(ग) (37)	वि. अ. आ. द्वारा कम से कम दो अकादमियों के छात्रों को विशेष मानदेय				-
3(ग) (38)	रमन पोस्ट डाक्टोरल फ़ैलोशिप	232,063			232,063
3(ग) (39)	रैगिंग रोधी उपाय				-
3(ग) (40)	रैगिंग विरोधी शिविर (स्था I)				-
3(ग) (41)	कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/सम्मेलन (महाविद्यालय)				-
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	338,002	-	-	338,002
3(ग) (42)	इंदिरा गांधी एकल बालिका स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)				-
	ऑनलाइन अंतरण (अजा)	242,590			242,590
3(ग) (43)	रैक धारकों के लिए पीजी छात्रवृत्ति (ऑनलाइन योजना)				-
	ऑनलाइन अंतरण (अजा)	145,617			145,617
3(ग) (44)	मेधावी छात्रों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान फ़ैलोशिप				-
3(ग) (45)	खेल पदक विजेताओं के लिए निःशुल्क शिक्षा/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रतिभागियों				-
3(ग) (46)	अनुसंधान वैज्ञानिक				-
3(ग) (47)	अजा/अजजा छात्रों के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)				-
	ऑनलाइन अंतरण (अजजा)	79,806,596			79,806,596
3(ग) (48)	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)	557,075			557,075
	ऑनलाइन अंतरण (अजजा)	5,001,032			5,001,032
3(ग) (49)	नेट अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति	8,366,301			8,366,301
	ऑनलाइन अंतरण (अजजा)	270,716,084			270,716,084
3(ग) (50)	डॉ एस0 राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)				-
	ऑनलाइन अंतरण (अजजा)	2,331,910			2,331,910
3(ग) (51)	डॉ डी0एस0 कोठारी पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)				-
	ऑनलाइन अंतरण (अजजा)	246,319			246,319
3(ग) (52)	विदेशी नागरिकों के लिए कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति तथा शोध एसोशिएटशिप				-
3(ग) (53)	स्वामी विवेकानन्द एकल बालिका अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)				-
	ऑनलाइन अंतरण (अजजा)				-
3(ग) (54)	अजा/अजजा छात्रों के व्यायसायिक पाठ्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति				-
	ऑनलाइन अंतरण (अजजा)	8,172,941			8,172,941
3(ग) (55)	गेट योग्यताप्राप्त एम0ई0/एम0टेक0 अर्हताप्राप्त छात्रों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	918,228			918,228



(राशि रुपए में)


शीर्ष	ब्योरा	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
	ऑनलाइन अंतरण (अजजा)				-
3(ग) (56)	विभिन्न अकादमिक एवं शोध कार्यों के लिए विषय/विभिन्न संघों/संगठनों के शिक्षकों हेतु प्रोत्साहन				-
3(ग) (57)	वृहद शोध परियोजनाएं				
	(क) विज्ञान	639,888			639,888
	(ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान	682,400	126,000		808,400
3(ग) (58)	लघु शोध परियोजनाएं (महाविद्यालय)				-
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	1,127,563	-	-	1,127,563
3(ग) (59)	शिक्षकों को शोध अवार्ड	4,199,264			4,199,264
3(ग) (60)	मूलभूत वैज्ञानिक शोध के लिए अनुदान (बीएसआर) (ऑनलाइन योजना)	2,904,018	160,000		3,064,018
	ऑनलाइन अंतरण (अजजा)	8,593,768			8,593,768
3(ग) (61)	एमरीटस अध्येतावृत्ति (ऑनलाइन योजना)				-
	ऑनलाइन अंतरण (अजजा)	93,000			93,000
3(ग) (62)	शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना तथा करियर परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना				-
3(ग) (63)	क्षेत्र अध्ययन		513,152		513,152
3(ग) (64)	युग प्रवर्तक भारतीय समाज चिंतकों पर विशेष अध्ययन	461,110	72,000		533,110
3(ग) (65)	उच्चतर शिक्षा में वृत्तिउन्मुखी पाठ्यक्रमों की शुरुआत तथा सामुदायिक महाविद्यालय	10,833,239	1,495,696		12,328,935
3(ग) (66)	सामाजिक बहिर्वेशन और समावेशन की नीति का अध्ययन करने के लिए केन्द्र	9,602,567			9,602,567
3(ग) (67)	ई-विषयवस्तु विकास				-
3(ग) (68)	उच्चतर शिक्षा एवं वि. अ. आ. कार्यालय का ई-गवर्नेंस				-
3(ग) (69)	वि. वि., महावि. एवं वि. अ. आ. कार्यालय के अधिकारियों के अकादमिक प्रशासन हेतु प्रशिक्षण				-
3(ग) (70)	वि. वि. परिसर				-
3(ग) (71)	प्रतिबद्ध देयताएं ( विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुरानी योजनाएं)	13,375,367	39,633,215		53,008,582
	<b>क्षेत्रीय कार्यालय</b>	4,000	13,735,878	-	13,739,878
3(ग) (72)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकटापन्न भाषाओं हेतु केंद्रों की स्थापना				-
3(ग) (73)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पीठ की स्थापना				-
3(ग) (74)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों में महिला छात्रावासों का निर्माण				-
3(ग) (75)	मानित विश्वविद्यालयों में अपिव अनुदान				-
3(ग) (76)	BRPG हेतु वित्तीय सहायता				-
3(ग) (77)	वाई-फाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान				-
3(ग) (78)	जम्मू एवं कश्मीर में 7 बालिका छात्रावासों का निर्माण-प्रधान मंत्री विकास पैकेज-2015		8,400,000		8,400,000
3(ग) ड	वेतन			25,440,000	25,440,000
3(ग) च	7वां सीपीसी बकाया			93,262,000	93,262,000
3(ग) छ	7वां सीपीसी बकाया			368,514,000	368,514,000
3(ग) ज	7वां सीपीसी बकाया			12,856,000	12,856,000
	<b>कुल</b>	569,880,877	229,602,156	500,072,000	1,299,555,033
3 ( ग ) -	ऑनलाइन	<b>375,349,857</b>			375,349,857
3(ख)- क्षेत्रीय कार्यालय		29,647,366.00	59,154,229.00	-	88,801,595
	<b>उप योग</b>	<b>569,880,877</b>	<b>229,602,156</b>	<b>500,072,000</b>	<b>1,299,555,033</b>
3(घ)	पूर्वात्तर के लिये विशेष घटक				-
3(घ) (1)	वि. अ. आ. (पूर्वात्तर) मुख्यालय	161,164,603	55,007,036		216,171,639

(राशि रुपए में)

शीर्ष	ब्योरा	शीर्ष-31	शीर्ष-35	शीर्ष-36	कुल
	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय	307,290,545			307,290,545
	ऑनलाइन	772,131,943			772,131,943
					-
	<b>उप योग</b>	<b>1,240,587,091</b>	<b>55,007,036</b>	<b>-</b>	<b>1,295,594,127</b>
3 (ड)	<b>पूर्वोत्तर-अ.जा. के लिये विशेष घटक</b>				
3 (ड) (1)	<b>वि. अ. आ. (पूर्वोत्तर) अ.जा. मुख्यालय</b>	21,160,293	12,220,428		33,380,721
	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय	61,385,285			61,385,285
	ऑनलाइन	15,798,759			15,798,759
	<b>उप योग</b>	<b>98,344,337</b>	<b>12,220,428</b>	<b>-</b>	<b>110,564,765</b>
3 (च)	<b>पूर्वोत्तर-अ.ज.जा. के लिये विशेष घटक</b>				
3 (च) (1)	<b>वि. अ. आ. (पूर्वोत्तर) अ.ज.जा. मुख्यालय</b>	7,161,291	5,505,353		12,666,644
	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय	63,243,904			63,243,904
	ऑनलाइन	68,490,137			68,490,137
	<b>उप योग</b>	<b>138,895,332</b>	<b>5,505,353</b>	<b>-</b>	<b>144,400,685</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>20,191,058,597</b>	<b>4,275,952,352</b>	<b>25,474,751,700</b>	<b>49,941,762,649</b>
<b>Sector-4</b>	<b>मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी विनिर्दिष्ट निधि</b>				
4(I)	सामाजिक संरचना विकास निधि				-
4(II)	सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी के द्वारा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन				-
4(III)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत-राष्ट्रसंघ के 21वीं सदी के ज्ञान की पहल	13,786,463			13,786,463
4(IV)	दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो				-
4(V) क	राष्ट्रीय अकादमिक न्यास (सामान्य)				-
4(V) ख	राष्ट्रीय अकादमिक न्यास (अ.जा.)				-
4(V) ग	राष्ट्रीय अकादमिक न्यास (अ.ज.जा.)				-
	<b>कुल</b>	<b>13,786,463</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,786,463</b>
	<b>उप योग</b>	<b>36,670,145,060</b>	<b>15,696,576,352</b>	<b>71,052,151,700</b>	<b>123,418,873,112</b>
क्षेत्र- 5	अनुसूचित जातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2,159,762,969			2,159,762,969
क्षेत्र- 6	अनुसूचित जनजातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	281,816,681			281,816,681
क्षेत्र- 7	अल्पसंख्यकों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	974,500,387			974,500,387
क्षेत्र- 9	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	250,897,843			250,897,843
	<b>कुल</b>	<b>3,666,977,880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,666,977,880</b>
	<b>उप योग</b>	<b>40,337,122,940</b>	<b>15,696,576,352</b>	<b>71,052,151,700</b>	<b>127,085,850,992</b>

स्थान :


दिनांक :



(रनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली

सामान्य भविष्य निधि का वर्ष 2017-18 का वार्षिक खाता भाग-1 (प्राप्तियों एवं भुगतान का विवरण)

प्राप्तियां भुगतान

क्र. सं. विवरण	उप-योग	कुल योग	क्र. सं. विवरण	उप-योग	कुल योग
<p>1. प्रारम्भिक शेष दिनांक 1.4.2017 को केनरा बैंक के सा.भ.नि. बचत बैंक खाता सं. 441 रोकड़ बही अनुसार</p>					
<p>क) वेतन बिलों के जरिये प्राप्त की गई सदस्यता राशि (बैंक में वेतन वापसी सहित)</p>	-	2,54,00,306.00	<p>क) सा.भ.नि. अग्रिम भुगतान</p>	1,16,91,883.00	
<p>ख) चालू वर्ष के दौरान सा.भ.नि. खाता सं. 441 में अनुपूरक बिलों तथा जमा के जरिये वसूली गई सदस्यता राशि</p>	7,39,48,640.00		<p>ख) सा.भ.नि.का अंश अंतिम आहरण</p>	3,49,32,400.00	
			<p>ग) अंतिम भुगतान</p>	3,42,14,695.00	
			<p>घ) सा.भ.नि. संचयन राशि (गैर परिचालनीय व्यक्तिगत खाता सं. 592) श्रीमती पूनम भाटिया के पक्ष में वि. अ. आ. के स्थापना खाता सं. 348 में अंतरित</p>	1,03,552.00	
			<p>इ) व्यक्तिगत खाता संख्या 1050 में संचित सा.भ.नि., जो डॉ. राजेश आनंद, पूर्व संयुक्त सचिव (स्थानांतरित) की ओर से वि.अ.आ. के डिमांड के समक्ष समायोजित की गई राशि स्थापना खाता सं. 348 में अंतरित</p>	2,64,375.00	
			<p>इ) डॉ0 राजेश आनंद, पूर्व संयुक्त सचिव की ओर से वि.अ.आ. के O/s शेफ्ट/क्रेडिट की डिमांड के समक्ष समायोजित की गई राशि का स्थापना खाता सं. 348 में अंतरित</p>	37,095.00	8,12,44,000.00
	72,10,960.00	8,12,39,600.00		<u>37,095.00</u>	<u>8,12,44,000.00</u>
	<u>बी/एफ</u>	<u>10 66 39 906-00</u>		<u>बी/एफ</u>	<u>8 12 44 000-00</u>
	<u>योग</u>	<u>योग</u>		<u>योग</u>	<u>योग</u>

स्थान :  
दिनांक :



(रनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खट्टर)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

**अग्रिम**

3. क) वेतन बिलों के जरिये वसूल की गई सा.भ.नि. की अग्रिम राशि 99,67,853.00
- ख) सा.भ.नि. अग्रिम की वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों से चेक / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तथा प्रतिनियुक्तों से भी वसूल / प्राप्त की गई राशि 2,27,229.00
4. क) वर्ष के दौरान सदस्यों द्वारा नकद / बैंक के जरिये सा.भ.नि. अग्रिम प्र. तिदाय राशि & 16,62863

**प्राप्तियां**

- 2- बैंक में किया गया निवेश 24,00,00,000.00
- क) केनरा बैंक में सावधि जमा 10,50,00,000.00
- ख) बैंक ऑफ बड़ौदा में सावधि जमा 13,50,00,000.00

योग

11,84,97,851-00

योग बी/एफ

11,84,97,851-00

योग

32,12,44,000-00

योग बी/एफ

32,12,44,000-00

स्थान :

दिनांक :




(रितु बाला शर्मा)

अवर सचिव



(अजय कुमार खाण्डूरी)

उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)

वित्तीय सलाहकार



(श्री० रजनीश जैन)

सचिव

5. वर्ष के दौरान अवधि पूर्ण होने पर प्राप्त सावधि जमा राशि

क) केनरा बैंक 4,50,00,000.00

ख) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 14,97,50,000.00 19,47,50,000.00

6.

क) केनरा बैंक 35,00,990.00

ख) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1,98,89,440.00 2,33,90,430.00

3. वार्षिक ब्याज के अतिरिक्त अर्जित/प्राप्त कुल ब्याज राशि तथा वर्ष 2017-18 के दौरान अंतिम भुगतान पर किया गया ब्याज भुगतान वि.अ.आ. सा.भ.नि. खाता सं. 441 स्थानांतरण बिल दिनांक 31.03.2018 से वि.अ.आ. स्था. खाता सं. 348 में स्थानांतरित किया गया।

**35]30]658-00**

योग

33]66]38]281-00

योग बी/एफ

33]66]38]281-00

योग

32]47]74]658-00

योग बी/एफ

32]47]74]658-00

स्थान :

दिनांक :



(रिनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खट्टर)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

7. सरकारी प्रतिभूतियों पर अर्धवार्षिक अर्जित / प्राप्त ब्याज

(क)	कर्नाटक राज्य विकास ऋण 2025	13,93,800.00
(ख)	कर्नाटक राज्य विकास ऋण 2025	13,93,800.00
(ग)	तमिलनाडु राज्य विकास ऋण 2025	35,21,859.00
(घ)	तमिलनाडु राज्य विकास ऋण 2025	35,21,859.00
(ङ)	महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण 2025	18,41,812.50
(च)	महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण 2025	18,41,812.50
(छ)	मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2025	26,49,475.00
(ज)	मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2025	26,49,475.00
		1,88,13,893.00

8. वर्ष के दौरान सा.भ.नि. जमा बचत खाता सं 441 में अर्जित / प्राप्त तिमाही ब्याज राशि

(क)	2,31,357.00
(ख)	2,45,281.00
(ग)	2,02,480.00
(घ)	2,06,819.00

योग  
योग बी/एफ

35]63]38]111-00  
35]63]38]111-00

योग  
योग बी/एफ

32]47]74]658-00  
32]47]74]658-00

स्थान :

दिनांक :



(रनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(पू० रजनीश जैन)  
सचिव

9. (क) सा.भ.नि. में प्राप्त संचित राशि जो श्री जितेन्द्र कुमार, शिक्षा अधिकारी की ओर से श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट गुजरात डी डी संख्या 381672 दिनांक 19.12.17 के संदर्भ में वि.अ.आ. में उनके नये सा.भ.नि. खाता सं. 1141 में जमा करने हेतु अंतरण।

-----  
2,78,021.91

4. दिनांक 31.3.2018 को समाप्त सा.भ. नि. केनरा बैंक, बचत खाता सं. 441 में समापन शेष

-----  
3,18,41,479.91

कुल योग

35]66]16]132-91

कुल योग

35]66]16]132-91

स्थान :  
दिनांक :



(रिनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**  
**बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली**  
**वर्ष 2017-18 के अग्रिम एवं वसूलियों का विवरण भाग-2**

क्र. सं.	विवरण	उप योग	कुल योग	भुगतान
1.	दिनांक 1.4.2017 को अग्रिम शेष	2,14,41,458.00		
2.	वर्ष 2017-18 के दौरान अग्रिम का भुगतान	<u>1,16,91,883.00</u>	3,31,33,341.00	
3.	वर्ष के दौरान अग्रिम वसूली क) वेतन बिलों के जरिये ख) नकद / बैंक के जरिये (शेष सामान्य भविष्य निधि ऋण के समक्ष किया गया प्रतिदाय ग) वि.अ.आ. के क्षेत्रीय कार्यालयों / प्रतिनियुक्तियों से प्राप्त किए गए नकद / बैंक / डीडी के द्वारा (सा.भ.नि. ऋण शेष के समक्ष किया गया प्रतिदाय)	99,67,853.00 16,62,863.00 <u>2,27,229.00</u>		<u>(-) 1,18,57,945.00</u>
4.	वर्ष 2017-18 के दौरान, सा.भ.नि. की शेष ऋण राशि अंतिम भाग के आहरण में परिवर्तित की गई।	4,54,739.00		2,12,75,396.00
5.	वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए अंतिम भुगतान के समक्ष समायोजित सा.भ.नि. शेष ऋण की राशि बही खातों के समायोजनों के अनुसार	<u>18,920.00</u>	(-) 4,73,659.00	
6.	दिनांक 31.03.2018 को सा.भ.नि. अग्रिम शेष राशि			<u><b>2108101737-00</b></u>

स्थान :

दिनांक :




**(रितु बाला शर्मा)**  
अवर सचिव



**(अजय कुमार खण्डूरी)**  
उप सचिव



**(प्रकाश कुमार ठाकुर)**  
वित्तीय सलाहकार

  
**(श्री० रजनीश जैन)**  
सचिव



**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली**

दिनांक 31.03.2018 को सा.भ.नि. खाते में किये गये निवेश/बकाया शेष का विवरण भाग-III

क्र. सं.	सावधि जमा में निवेश बैंक का नाम	सावधि जमा संख्या	पिछले वर्षों में किया गया निवेश	जारी करने की तिथि	निवेश की गई राशि	ब्याज	परिपक्वता राशि	परिपक्वता की तिथि	क्र. सं.	सावधि जमा संख्या	पिछले वर्षों में किया गया निवेश	जारी करने की तिथि	निवेश की गई राशि	ब्याज	परिपक्वता राशि	परिपक्वता की तिथि
			533116/8627401001030/10	23.11.2016	9000000	1421769	10421769	28.11.2018								
			533117/8627401001030/11	23.11.2016	9000000	1423865	10423865	29.11.2018								
			533118/8627401001030/12	23.11.2016	9000000	1425962	10425962	30.11.2018								
			533119/8627401001030/13	23.11.2016	9000000	1428058	10428058	01.12.2018								
			533120/8627401001030/14	23.11.2016	9000000	1430155	10430155	02.12.2018								
			533121/8627401001030/15	23.11.2016	9000000	1432251	10432251	03.12.2018								
			533122/8627401001030/16	23.11.2016	6000000	956230	6956230	04.12.2018								
				<b>योग</b>	<b>60000000</b>	<b>9518290</b>	<b>69518290</b>									
			<b>चालू वर्ष में किया गया निवेश</b>													
			533301/8627401001374/1	11.05.2017	9000000	637254	9637254	11.05.2018								
			533302/8627401001374/2	11.05.2017	9000000	637254	9637254	11.05.2018								
			533303/8627401001374/3	11.05.2017	9000000	637254	9637254	11.05.2018								
			533304/8627401001374/4	11.05.2017	9000000	637254	9637254	11.05.2018								
			533305/8627401001374/5	11.05.2017	9000000	637254	9637254	11.05.2018								
			533306/8627401001374/6	11.05.2017	9000000	637254	9637254	11.05.2018								
			533307/8627401001374/7	11.05.2017	9000000	637254	9637254	11.05.2018								
			533308/8627401001374/8	11.05.2017	9000000	637254	9637254	11.05.2018								
			533309/8627401001374/9	11.05.2017	9000000	637254	9637254	11.05.2018								
			533310/8627401001374/10	11.05.2017	9000000	637254	9637254	11.05.2018								
			533311/8627401001374/11	11.05.2017	9000000	637254	9637254	11.05.2018								
			533312/8627401001374/12	11.05.2017	6000000	424836	6424836	11.05.2018								
				<b>योग</b>	<b>105000000</b>	<b>7434630</b>	<b>112434630</b>									

बैंक ऑफ बड़ौदा	0132180/05860300047435	17.07.2017	9000000	646363	9646363	22.07.2018
	0132190/05860300047451	18.07.2017	9000000	646363	9646363	23.07.2018
	0132192/05860300047455	19.07.2017	9000000	646363	9646363	24.07.2018
	0132197/05860300047457	20.07.2017	9000000	646363	9646363	25.07.2018
	0132201/05860300047462	21.07.2017	9000000	646363	9646363	26.07.2018
	0132212/05860300047486	24.07.2017	9000000	646363	9646363	29.07.2018
	0132213/05860300047502	25.07.2017	9000000	646363	9646363	30.07.2018
	0132220/05860300047511	26.07.2017	9000000	646363	9646363	31.07.2018
	0132221/05860300047515	27.07.2017	8000000	574545	8574545	01.08.2018
	0132405/05860300048221	04.10.2017	9500000	656924	10156924	09.10.2018
	0132406/05860300048225	05.10.2017	9500000	656924	10156924	10.10.2018
	0132407/05860300048235	06.10.2017	9500000	656924	10156924	11.10.2018
	0132408/05860300048278	09.10.2017	9500000	656924	10156924	14.10.2018
	0132409/05860300048303	10.10.2017	9500000	656924	10156924	15.10.2018
	0132410/05860300048304	11.10.2017	7500000	518624	8018624	16.10.2018
			<b>135000000</b>	<b>9548693</b>	<b>144548693</b>	

**चालू वर्ष का कुल योग**

**240000000 16983323 256983323**

- 1 केनरा बैंक
- 2 मुंबई
- 3
- 4

**पिछले वर्षों के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशित राशि**

कर्नाटक राज्य विकास ऋण 2025	22.04.2015	34500000	8.08% अर्धवार्षिक	11.03.2025
तमिलनाडु राज्य विकास ऋण 2025	21.05.2015	85690000	8.22% अर्धवार्षिक	13.05.2025
महाराष्ट्र राज्य विकास ऋण 2025	04.09.2015	44650000	8.25% अर्धवार्षिक	13.05.2025
मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2025	30.09.2015	65500000	8.09% अर्धवार्षिक	11.03.2025
<b>योग</b>		<b>230340000</b>		

स्थान :

दिनांक :



(रितु बाला शर्मा)

अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)

उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)

वित्तीय सलाहकार



(श्री० रमेश जैन)

सचिव

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली**

क्र. सं.	विवरण	उप योग	कुल योग	भाग-IV
	<b>दिनांक 31.3.2018 (वर्ष 2017-18) को सा.भ.नि. का समापन शेष का विवरण</b>			
1.	दिनांक 31.3.2018 को केनरा बैंक सा.भ.नि. बचत बैंक खाता सं0 441 में रोकड़ बही के अनुसार समापन शेष		3,18,41,474.91	
2.	क) केनरा बैंक में पहले से ही किया गया निवेश <ul style="list-style-type: none"> <li>i. पूर्व वर्ष के दौरान (निवेश तालिका के अनुसार)</li> <li>ii. चालू वर्ष के दौरान (निवेश तालिका के अनुसार)</li> </ul> ख) बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया निवेश चालू वर्ष के दौरान (निवेश तालिका के अनुसार)	6,00,00,000.00 10,50,00,000.00 13,50,00,000.00 30,00,00,000.00 23,03,40,000.00		
3.	दिनांक 31.3.2018 को सा.भ.नि. ब्रॉड शीट के अनुसार समापन शेष		<u>56,21,81,474.91</u>	

स्थान :


दिनांक :



(रिनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अनय कुमार खापूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो0 रजनीश जैन)  
सचिव

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली**

दिनांक 31.3.2018 (वर्ष-2017-18) को समाप्त देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का विवरण

भाग-V

क्र. सं.	देयताएं	राशि	परिसम्पत्तियां	राशि
1-	दिनांक 31.3.2018 को समापन शेष (बॉन्ड शीट के अनुसार सा.भ.नि. सदस्यों को देय राशि)	56,21,81,474.91	1½ दिनांक 31.3.2018 को समापन के अनुसार किए गए निवेश 2½ दिनांक 31.3.2018 को समापन पेश के अनुसार सा. भ.नि. बचत बैंक खाता सं. 441 केनरा बैंक रोकड़ बही के अनुसार	53,03,40,000.00  3,18,41,474.91
		कुल योग : ₹0	कुल योग : ₹0	56]21]81]474-91 56]21]81]474-91

स्थान :

दिनांक :



(रितु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खाण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

### बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली

वर्ष 2017-18 का अंशदायी भविष्य निधि का वार्षिक खाता भाग-I (प्राप्तियां एवं भुगतान का विवरण)

प्राप्तियां

भुगतान

क्र. सं.	उप योग	योग	क्र. सं.	उप योग	योग
1.	दिनांक 01.04.2017 को रोकड़ बही के अनुसार प्रारम्भिक शेष	-	1.	प्रो. वेदप्रकाश, पूर्व अध्यक्ष को किया गया अंतिम भुगतान (अं.भ.नि. खाता सं. 670)	32,07,207.00
2.	सदस्यता एवं अग्रिम	47,65,305.00	2.	7वें CPC की बकाया राशि का निम्न को भुगतान किया गया	
				(क) प्रो. वेद प्रकाश, पूर्व सचिव	2,17,500.00
				(ख) श्रीमती कांता कुमारी, पूर्व उप सचिव	79,494.00
3.	अं.भ.नि. बचत बैंक खाता में अर्जित ब्याज राशि	2,40,000.00	3.	सा.भ.नि. खाता सं. 442 (पूर्व वर्ष मद) से स्थापना खाता सं. 348 में अंतरित अतिरिक्त ब्याज राशि	642.00

11061428-00

क) अं.भ.नि. पर अर्जित कुल भुगतान पर कुल ब्याज राशि जो स्थापना खाता सं. 348 से अं.भ.नि. खाता सं. 442 में अंतरित की गई।

51111733-00

योग बी/एफ

योग

योग बी/एफ

स्थान :

दिनांक :



(रनु बाला शर्मा)

अवर सचिव



(अजय कुमार खाण्डूरी)

उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)

वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)

सचिव

<p>4. वार्षिक ब्याज एवं अंशदाय निम्न को पूर्ण भुगतान करते समय स्थापना खाता सं. 348 से अंशदायी भविष्य निधि खाता सं. 442 में 7वां सीपीसी की अंतरण बकाया राशि में अंतर</p> <p>(क) प्रो. वेद प्रकाश, पूर्व अध्यक्ष 2,17,500.00</p> <p>(ख) श्रीमती कांता कुमारी, पूर्व उपसचिव <u>79 494-00</u></p> <p>(ग) श्रीमती सुषमा राठौड़, अवर सचिव के अंशदायी भविष्य निधि कार्मिक खाता सं. 611 में जमा किया गया 83,724.00</p> <p><u>3 80 718-00</u></p>	<p>दिनांक 31.03.2018 को अंशदायी भविष्य निधि रोकड़ के अनुसार समापन शेष</p>	<p><b>&amp;</b></p> <p><b>20 85 324-00</b></p>
<p>5. अं ३० नि० जमा खाता सं० 442 में अर्जित तिमाही ब्याज राशि 16,504.00</p> <p>15,531.00</p> <p><u>16 347-00</u></p> <p><u>49 334-00</u></p> <p><u>97 716-00</u></p>	<p>कुल योग</p>	<p><u>55 90 167-00</u></p> <p>कुल योग</p> <p><u>55 90 167-00</u></p>

स्थान :

दिनांक :




(रितु बाला शर्मा)

अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)

उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)

वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)

सचिव

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**  
**बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली**

वर्ष 2017-18 का अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम एवं वसूली का विवरण

क्र. सं.	विवरण	प्राप्तियां	भुगतान	राशि (रूपये)
1.	दिनांक 1-4-2017 को अग्रिम शेष			27]777-00
2.	जमा: वर्ष 2017-18 के दौरान अग्रिम राशि का भुगतान			&&&
3.	घटा: वर्ष 2017-18 के दौरान भुगतान बिलों के जरिये अग्रिम वसूली			&&&
4.	घटा: वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक/डीडी/नकद के जरिये अग्रिम प्रतिदाय			&&&
5.	घटा: वर्ष 2017-18 के भविष्य निधि आहरण में परिवर्तित अंशदायी भविष्य निधि के शेष ऋण की राशि			&&&
6.	घटा: वर्ष 2017-18 के पूर्व वर्ष भविष्य निधि के किए गए अंतिम भुगतान राशि (बही खातों में समायोजन के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम शेष राशि)			27]777-00
7.	घटा: अंशदायी भविष्य निधि के समापन पर अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम शेष राशि			NIL

स्थान :

दिनांक :



(रिनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक 31/03/2018 को समापन के कुल अंशदाय भविष्य निधि निक्षेप का विवरण

शून्य

स्थान :

दिनांक :



(रिनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अणय कुमार खाट्टी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव



**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**  
**बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली**

दिनांक 31/03/2018 (वर्ष 2017-18) के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि के समापन शेष का विवरण  
प्राप्तियां

राशि (रूपये)  
20,85,324.00

भुगतान  
उप-योग

विवरण

1. रोकड़ के अनुसार दिनांक 31-03-2018 को अंशदायी भविष्य निधि केनरा बैंक खाता सं. 442 का समापन शेष

2. कुल निक्षेप सहित

---

3. दिनांक 31-03-2018 के अंशदायी भविष्य निधि ब्रॉडशीट के अनुसार समापन शेष

20,85,324.00

स्थान :

दिनांक :



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्र० रजनीश जैन)  
सचिव



(रिनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**  
**बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली**

दिनांक 31-3-2018 को समाप्त वर्ष 2017-18 का तुलन-पत्र भाग-(V)  
परिसम्पत्तियां

देयताएं

1. दिनांक 31.03.2018 के अनुसार समापन शेष (ब्रॉडशीट के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि सदस्यों को देय राशि सदस्यता अंशदायी अंश)	47,64,663.00	1. दिनांक 31.3.2018 को रोकड़ के अनुसार समापन शेष (केनरा बैंक सीपी जमा निधि खाता सं. 442)	47,65,305.00
2. सावधि जमा की अवधि पूर्ण हो जाने पर अतिरिक्त ब्याज की प्राप्य राशि वर्ष 2017-18 के दौरान अंशदायी भविष्य निधि बैंक में जमा खाता सं. 442 से स्था. खाता सं. 348 में अंतरित की जाएगी।	642.00	2. किये गए निक्षेप	.....
<b>कुल योग</b>	<b>47 65 305-00</b>	<b>कुल योग</b>	<b>47 65 305-00</b>

स्थान :


दिनांक :



(रितु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखे के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची : 17 : महत्वपूर्ण लेखे संबंधी नीतियां

### 1. लेखे

- क) वित्तीय विवरण को परम्परागत लागत रूढ़ियों के आधार पर तैयार किया जाता है जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हों, इन्हें सामान्यतः लेखांकन की प्रोद्भूत पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।  
ख) अव्ययित अनुदानों के प्रतिदाय के कारण सभी प्राप्तियों को नकदी आधार पर लेखा में सम्मिलित किया जाता है।

### 2. अनुदान सहायता

अनुदानों की पहचान, प्राप्ति के आधार पर की जाती है तथा किए गए पूंजीगत स्वरूप के व्यय (जिस राशि को सीधे ही पूंजीगत निधि में जमा किया जाता है) के अलावा इन निधियों को सीधे ही आय और व्यय खाते में जमा किया जाता है। निशुल्क प्राप्त किए गए किसी भी गैर-वित्तीय अनुदान को एक रुपए की नाममात्र राशि पर दर्शाया जाता है।

### 3. अचल परिसम्पत्तियां तथा मूल्यहास

क) अचल परिसम्पत्तियों प्राप्ति की लागत में से मूल्यहास को घटाकर दर्शाया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बिना लागत प्राप्त की गई अचल परिसम्पत्तियों को इस वित्तीय विवरण में एक रुपए के नाममात्र मूल्य पर पूंजीगत किया गया है। अवलिखित मूल्य पद्धति के माध्यम से अचल परिसम्पत्तियों का मूल्यहास निम्नलिखित दरों पर होता है:-

क) फर्नीचर और अन्य साजो-सामान	10 प्रतिशत
ख) विद्युत उपकरण	15 प्रतिशत
ग) कम्प्यूटर/ संबद्ध उपकरण	60 प्रतिशत
घ) ग्रंथालय पुस्तकें और जर्नल	30 प्रतिशत
ङ) मोटर वाहन	15 प्रतिशत

ख) वर्ष के दौरान अचल परिसम्पत्तियों में जोड़ी गई परिसम्पत्तियों पर संपूर्ण वर्ष के लिए मूल्यहास का परिकलन किया जाता है और अचल परिसम्पत्तियों में की गई किसी प्रकार की कमी के लिए किसी भी प्रकार का मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाता है।

ग) आयकर अधिनियम, 1961 में विहित दरों पर मूल्यहास को प्रभारित किया गया है।

### 4. सभी निक्षेपों/ निवेशों पर ब्याज को प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।


### 5. कर्मचारियों को वेतन/लाभ

क. व्यापक रूप से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू सेवा नियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारियों पर भी लागू है।

ख. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में लागू प्रणाली के अनुरूप, सेवानिवृत्त लाभ की गणना नकदी आधार पर की जाती है।

स्थान :


दिनांक :



(रिनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अनुसूची : 18

### लेखा टिप्पणियां

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्राप्तियों का मुख्य स्रोत संसद द्वारा अनुमोदित बजट के आधार पर सरकार से प्राप्त अनुदान है। यद्यपि प्राप्त अनुदानों को (पूँजीगत स्वरूप के व्यय के समायोजन के उपरांत) आय और व्यय खाते में रखा जाता है, तथापि, इस प्रतिबंध के अध्यक्षीन की सरकार की संस्वीकृति के बिना अनुदान के अवयवित शेष को अगले वित्तीय वर्ष में नहीं ले जाया सकता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्रभावी आय शून्य हो जाती है। इससे कोई आयकर देनदारी नहीं बनती है।
2. जिस भवन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यालय स्थित है वह भूमि और विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली का है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस सम्पत्ति का पट्टेदार है और इसे बिना किसी किराए के दिनांक 17.06.1960 को आबंटित किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस भवन का रखरखाव करता है और इसके सम्पत्ति कर का भुगतान करता है।
3. योजनागत शीर्ष के तहत अधिशेष निधियों को अनुसूचित बैंक में अस्थायी रूप से रखा जाता है। किसी भी समय निधियों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।
4. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को कुल 1,51,36,382/- रुपए की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था जिसमें से वर्ष 2017-18 के दौरान अग्रिम के रूप में 29,65,081/- रुपए की राशि शामिल है। जिसके समक्ष केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से व्यय विवरण तथा 8,09,675/- रुपए का प्रतिदाय प्राप्त हुआ और दिनांक 31.03.2018 तक की निबल बकाया राशि 1,43,26,707/- रुपए है।
5.
  - क) केनरा बैंक के साथ बचत खाता संख्या 17339 में, बैंक ने विभिन्न संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा प्रतिदाय की गई 8,96,95,030/- रुपए की राशि जमा की गई। निष्ठापूर्वक प्रयास करने और बैंक के साथ विभिन्न स्तर पर बातचीत करने के बाद भी हम उस संस्थान का पता नहीं लगा पाए जिसने इस राशि का प्रतिदाय किया था। अब इस राशि को अनुदानों के प्रतिदाय के तहत शामिल कर लिया गया है।
  - ख) विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा प्रतिदाय किए गए 76,583/- रुपए की राशि को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बचत खाता संख्या 6815 में जमा किया गया था। अब इस राशि को अनुदानों के प्रतिदाय शीर्ष में शामिल कर लिया गया है।
  - ग) विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा प्रतिदाय किए गए 2,78,650/- रुपए की राशि को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बचत खाता संख्या 8018 में जमा किया गया था। अब इस राशि को अनुदानों के प्रतिदाय शीर्ष में शामिल कर लिया गया है।
  - घ) विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा प्रतिदाय किए गए 25,60,54,970.09/- रुपए की राशि को केनरा बैंक के बचत खाता संख्या 2122 में जमा किया गया था। अब इस राशि को अनुदानों के प्रतिदाय शीर्ष में शामिल कर लिया गया है।
  - ङ) विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा प्रतिदाय किए गए 1,35,38,778.38/- रुपए की राशि को केनरा बैंक के बचत खाता संख्या 2123 में जमा किया गया था। अब इस राशि को अनुदानों के प्रतिदाय शीर्ष में शामिल कर लिया गया है।
  - च) विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा प्रतिदाय किए गए 79,34,891.67/- रुपए की राशि को केनरा बैंक के बचत खाता संख्या 2124 में जमा किया गया था। अब इस राशि को अनुदानों के प्रतिदाय शीर्ष में शामिल कर लिया गया है।


- छ) विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा प्रतिदाय किए गए 1,42,78,744 /- रुपये की राशि को सेंट्रल बैंक के बचत खाता संख्या 9846 में जमा किया गया था। अब इस राशि को अनुदानों के प्रतिदाय शीर्ष में शामिल कर लिया गया है।
- ज) विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा प्रतिदाय किए गए 13,66,470.18 /- रुपये की राशि को पंजाब नेशनल बैंक के बचत खाता संख्या 0333 में जमा किया गया था। अब इस राशि को अनुदानों के प्रतिदाय शीर्ष में शामिल कर लिया गया है।
- झ) वसूली योग्य रूप में दर्शाए गए तथा प्रदान किए गए अग्रिम को संबंधित पक्ष/विभाग से अंतिम बिल प्राप्त/प्राप्ति होने पर लेखा के अंतिम शीर्ष/वसूल किए गए रूप में समायोजित किया जाता है।
- ञ) वर्तमान वित्तीय वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केनरा बैंक में 4 बचत खाते खोले हैं जिन्हें विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाता है।

#### 6. अन्य


- क. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्तियों तथा भुगतान सहित जहां कहीं भी आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के तदनुसूची आंकड़ों को लेखा के वित्तीय विवरणों तथा अनुसूचियों में पुनर्समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित किया गया है
- ख. वित्तीय विवरणों में आंकड़ों को निकटतम भारतीय रूप में पूर्णांकित किया गया है।
- ग. सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी खातों से संबद्ध तुलन-पत्र, आय एवं व्यय खातों तथा प्राप्तियों एवं भुगतान खातों को पृथक रूप से अनुरक्षित किया गया है तथा वार्षिक खातों में दर्शाया गया है।

स्थान :


दिनांक :



(रेनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखे का भाग बनने वाली अनुसूचियां

1. आकस्मिक देयताएं

क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विरुद्ध न्यायालयी तथा अन्य अन्य प्रकरणों में देयताएं सुनिश्चित नहीं की जा सकती हैं।

2. पूंजीगत वचनबद्धताएं


क) संगठन अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूंजीगत प्रतिबद्धताओं को दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र की अनुसूची के अनुरूप पूंजीगत कायिक निधियों में दर्शाया गया है।

3. चालू परिसम्पत्तियां और अग्रिम

क) सामान्य क्रियाकलापों के दौरान चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों तथा अग्रिमों का प्राप्य मूल्य होता है जो कि कम से कम वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों के कुल के बराबर होता है।

स्थान :


दिनांक :



(रेनु बाला शर्मा)  
अवर सचिव



(अजय कुमार खण्डूरी)  
उप सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार



(प्रो० रजनीश जैन)  
सचिव



सत्यमेव जयते

कार्यालय अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (केन्द्रीय व्यय)  
Office of the Addl. Dy. C & AG (Central Expenditure)  
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110 002  
Indraprastha Estate, New Delhi -110 002

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर./यू.जी.सी./9-24/2018-19/

दिनांक: 24.12.18

सेवा में,  
सचिव, भारत सरकार,  
उच्च शिक्षा विभाग,  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,  
शास्त्री भवन,  
नई दिल्ली-110001

**विषय : वर्ष 2017-18 के लिए विश्वविधालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

महोदया/महोदय,

मैं विश्वविधालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-18 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें 2017-18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

भवदीय,


संलग्नक: यथोपरी

हस्ता  
निदेशक (ए.एम.जी-IV)

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित सचिव, विश्वविधालय अनुदान आयोग, 9, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली- 110002 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वार्षिक लेखाओं की हिंदी प्रति की 1 प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दशति हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

संलग्नक:यथोपरी

  
निदेशक (ए.एम.जी-IV)

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर./यू.जी.सी./9-24/2018-19/

दिनांक: 24.12.18

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे कि प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित प्रधान निदेशक (रिपोर्ट-ए.बी.), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अग्रेषित की जाती है।

यह अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, केंद्रीय व्यय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक:यथोपरी

— हस्ता —  
निदेशक (ए.एम.जी-IV)



“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

### **31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट**

हमने 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का संलग्न तुलनपत्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19(3) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष हेतु आय और व्यय लेखा और प्राप्ति और भुगतान लेखे की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) के लेखे शामिल हैं। इनमें से 3 क्षेत्रीय कार्यालयों को इस रिपोर्ट के लिए लेखापरीक्षा और टिप्पणी के लिए विचार किया गया है। ये वित्तीय विवरण आयोग के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धति, लेखा मानक और प्रकटन मापदण्ड के साथ अनुरूपता आदि के संबंध में लेखांकन प्रक्रिया पर टिप्पणी शामिल है। विधि, नियम और विनियम (औचित्य और नियमितता) और दक्षता सह निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, के साथ अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देन के संबंध में, लेखापरीक्षा समुक्ति अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी रिपोर्टों के माध्यम से सूचित की जाती है।
3. हमने सामान्यतया भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा होती है कि हम यह यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाते हैं कि निष्पादन सुनिश्चित करें कि क्या ये वित्तीय विवरण मिथ्या सामग्री से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में जांच आधार पर, वित्तीय विवरणों में धनराशि और प्रकटन में सहायक साक्ष्यों की जांच शामिल है। लेखापरीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखांकन सिद्धांत का आकलन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल होता है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत हेतु यथोचित आधार मुहैया कराती है।
4. **लेखापरीक्षा के आधार पर हम प्रतिवेदित करते हैं कि :**
  - (i) “हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए जरूरी थे;
  - (ii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखे तथा प्राप्ति और भुगतान लेखे को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में तैयार किया गया है।
  - (iii) हमारे विचार से, हमारी इन पंजिकाओं की जांच से पता चलता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन बही खातों का उचित तरह से रखरखाव किया है।
  - (iv) हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि:

#### **क. तुलन पत्र**

#### **क1. निधियों का नियोजन**

#### **क1.1 ऋण अग्रिम तथा जमा राशियां (अनुसूची 7)—4.40 करोड़ रुपए**

उपर्युक्त सावधि जमा (FDR) पर ब्याज के रूप में 2.38 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है। इसके बजाय, इसे वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत चित्रित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, ऋण अग्रिम और जमा राशि की न्यूनोक्ति तथा वर्तमान परिसम्पत्तियों में 2.38 करोड़ रुपये की अत्युक्ति हुई।

## ख. आय एवं व्यय लेखा

### ख.1 निवेश से आय 59.71 लाख रुपये

उपरोक्त में, आय एवं व्यय लेखा सामान्य भविष्य निधि के संबंध में व्यय से अधिक अतिरिक्त आय के रूप में 59.71 लाख रुपये की राशि को शामिल किया गया है। यद्यपि, इसे सामान्य भविष्य निधि के तुलन पत्र में सामान्य भविष्य निधि (GPF) देयताओं के तहत ब्याज आरक्षित के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, आय के साथ-साथ मुख्य लेखे में पूंजीगत निधि की अत्युक्ति हुई तथा सामान्य भविष्य निधि देयताओं में 59.71 लाख रुपये की न्यूनोक्ति हुई।

वि.अ.आ. ने निधि संबंधी कार्यकलाप का आकलन करने के लिये सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि का कोई भी आय एवं व्यय खाता तैयार नहीं किया है। यह वर्ष 2010-11 से इंगित किया जा रहा है, लेकिन अब तक आयोग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।

### ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 5 के अनुसार, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में, प्रचलित प्रणाली के अनुसार, नकद आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ का लेखा जोखा रखा जाता है। यह लेखा संबंधी नीति लेखा मानक 15 और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित समान लेखा प्रारूप के विपरीत हैं, जिसके अनुसार बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ के लिए व्यवस्था की जाए।

### घ. सामान्य

**घ 1.** मा.सं.वि.मं. द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार, सामान्य भविष्य निधि और अंशदायी भविष्य निधि के लिये अलग-अलग खातों का अनुरक्षण करना चाहिए तथा खातों के नोट्स एवं उनके संदर्भ पृथक-पृथक रूप से खातों के नोट्स दिये जाने चाहिये। वि.अ.आ. ने सा.भ.नि. एवं अं.भ.नि. के लिये पृथक रूप से खाते अनुरक्षित किये हैं। लेकिन, वे मा.सं.वि.मं. द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुरूप नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, जीपीएफ एवं सीपीएफ की परिसम्पत्तियां एवं देयताओं को मुख्य लेखों में शामिल किया गया है, जो मा.सं.वि.मं. द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुरूप नहीं हैं।

**घ 2** चिन्हित/वृत्तिदान निधियों की सूची (अनुसूची 2) की अनुसूची मा.सं.वि.मं. द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार तैयार नहीं की गई है। कुल प्राप्त (अतिरिक्त, निवेश से आय, उपाजित ब्याज, बचत खातों पर ब्याज) और कुल व्यय (पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय) वर्ष के दौरान अनुसूची में नहीं दर्शाया गया है। इसके अलावा निधियों की शेष राशि को रोकड़/बैंक शेष, निवेश आदि में नहीं दर्शाया गया है।

**घ 3** राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त किए गए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार, आय और व्यय लेखे में आय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। यद्यपि, वि.अ.आ. ने सभी अनुदान (वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान और अप्रयुक्त अनुदान का प्रतिदाय वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये, जिसमें पूंजीगत व्यय में व्ययित अनुदान शामिल है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा के प्रारूपों के प्रतिकूल है।

**घ 4** यू.जी.सी ने एम.एच.आर.डी के खातों के प्रारूप में निर्धारित दरों के बजाय आयकर अधिनियम में दी गई दरों के अनुसार अचल संपत्तियों पर मूल्यहास का आरोप लगाया है

## ई-सहायता अनुदान (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वित्तपोषण मुख्य तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान, इसे 12041.83 करोड़ रुपए (मार्च, 2018 में 408.39 करोड़ रुपए प्राप्त हुए) तथा अव्ययित शेष के रूप में 723.31 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ, महाविद्यालयों/संस्थानों से वापसी की राशि के रूप में 260.49 करोड़ रुपए, 92.60 करोड़ रुपए आय के रूप में प्राप्त हुए। 13118.23 करोड़ रुपए की कुल उपलब्ध निधियों में से 12454.73 करोड़ रुपए उपयोग किया, इसके पास 663.50 करोड़ रुपए का अव्ययित शेष रहे।

वर्ष 2017-18 के दौरान इसे निम्नलिखित मंत्रालयों से भी सहायता अनुदान प्राप्त हुए:

- (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अनुसूचित जाति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति हेतु 225.40 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ (मार्च, 2018 में 25.40 करोड़ रुपए प्राप्त हुए) और इसके पास 0.01 करोड़ रुपए का अव्ययित शेष था। इसे बैंक से ब्याज तथा वापसी की राशि के रूप में 3.71 करोड़ रुपए भी प्राप्त हुए। 229.12 करोड़ रुपए की कुल उपलब्ध निधियों में से, इसने 215.98 करोड़ रुपए का उपयोग किया तथा 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, इसके पास 13.14 करोड़ रुपए का अव्ययित शेष है।
- (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति हेतु 20.00 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और इसके पास 15.91 करोड़ रुपए का अव्ययित शेष था। इसे बैंक से ब्याज तथा वापसी की राशि के रूप में 0.63 करोड़ रुपए भी प्राप्त हुए। 36.54 करोड़ रुपए की कुल उपलब्ध धनराशि में से, इसने 25.09 करोड़ रुपए का उपयोग किया तथा 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार इसके पास 11.45 करोड़ रुपए का अव्ययित शेष है।
- (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए 124.85 करोड़ रुपए (मार्च, 2018 में 25 करोड़ रुपए प्राप्त हुए) की अनुदान सहायता राशि प्राप्त हुई तथा इसके पास 0.57 करोड़ रुपए का अव्ययित शेष था। इसे बैंक से ब्याज तथा वापसी की राशि के रूप में 0.98 करोड़ रुपए की धनराशि भी प्राप्त हुई। 126.39 करोड़ रुपए की कुल उपलब्ध धनराशि में से इसने 97.45 करोड़ रुपए का उपयोग किया और 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार इसके पास 28.94 करोड़ रुपए का अव्ययित शेष है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जनजातीय कार्य मंत्रालय से 0.12 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और इसके पास 28.00 करोड़ रुपए की अव्ययित शेष राशि थी। इसे बैंक से ब्याज तथा वापसी की राशि के रूप में 2.46 करोड़ रुपए की राशि भी प्राप्त हुई। कुल 30.58 करोड़ रुपए की उपलब्ध धनराशि में से इसने 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार 28.18 करोड़ रुपए का उपयोग किया तथा 2.40 करोड़ रुपए की अव्ययित शेष राशि रही।

## भाग-ख

### अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12 (सीसीसी)के तहत 6 अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना की है, जैसे : इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलेरेटर सेन्टर (आईयूएसी) नई दिल्ली, कन्सोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्प्युनिकेशन सीईसी), नई दिल्ली, इंटर यूनिवर्सिटी सेन्टर फॉर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए) पुणे, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर (इन्फिलबनेट) गांधीनगर, राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) बंगलुरु, यूजीसी-डीई-कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इंदौर। वर्ष, 2016-17 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमाणन लेखापरीक्षा के साथ-साथ सीएंडएजी

(डीपीसी) अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए इन सभी अंतर्विश्वविद्यालय केन्द्रों के लेखा के लिए प्रमाणन लेखापरीक्षा की गई थी तथा इन केन्द्रों के लेखे से संबंधित टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:-

## 1. शैक्षणिक संचार के लिए कंसोर्टियम (सीईसी) नई दिल्ली

### क सामान्य

क.1 अनुदान और परिदानों की अनुसूचियां (अनुसूची 10) के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मा.सं.वि.मं. द्वारा निर्धारित लेखों के प्रारूप के अनुसार नहीं दर्शाये गए हैं।

क.2 सा.भ.नि. और अ.भ.नि. लेखों की परिसंपत्तियां और देयताएं मुख्य खातों में शामिल की गई हैं जो मा.सं.वि.मं. द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुरूप नहीं है। जीपीएफ/सीपीएफ का आय और व्यय खाता तैयार नहीं किया गया है।

## 2. इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (आईयूएसी), नई दिल्ली

### क. तुलन पत्र

#### क.1 परिसम्पत्तियां

##### क.1.1 अचल परिसम्पत्तियां (अनुसूची 3)-164.51 करोड़ रुपये

उपर्युक्त में मुख्य भवन शीर्ष के तहत 49.10 करोड़ रुपये शामिल हैं जबकि अभिलेखानुसार भूमि आईयूएसी के नाम पर नहीं है। भवन निर्माण के लिए भूमि के उपयोग के लिए आईयूएसी के पास जेएनयू के साथ एक समझौता है। नोट्स टू अकाउंट्स में इस तथ्य का खुलासा लेखाटिप्पणियों में किया जाना चाहिए। यह गत वर्ष की रिपोर्ट में बताया गया था लेकिन कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

## 3. वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु डीएई कंसोर्टियम, इंदौर

### क1. निधियों का विनियोग

#### क1.1 अचल परिसम्पत्तियां (अनुसूची -4) -129.67 करोड़ रुपये

##### (i) पूंजीगत कार्य प्रगति-22.56 करोड़ रुपये

उपरोक्त के अंतर्गत, 2.11 करोड़ रुपये (आईटीपीपीएमएस के पूर्ण/स्थापित, कॉम्पैक्ट मिनी Arc मीटर, सीसीटीवी सिस्टम, एयर कंडीशनर, एलईडी टीवी, ड्राई वैक्यूम पंप एमएस बोल्ट आदि) का मूल्य अचल परिसंपत्तियों के मूल्य में शामिल किया गया। यद्यपि, इस तरह के कार्यों को वर्ष के दौरान पूर्ण/स्थापित कर लिया गया। परिणामस्वरूप, पूंजीगत कार्य प्रगति में 2.11 करोड़ रुपये की अत्युक्ति हुई तथा अचल परिसंपत्तियों में 1.96 करोड़ रुपये की न्यूनोक्ति हुई तथा व्यय (अवमूल्यन) में 0.15 करोड़ रुपये की न्यूनोक्ति हुई।

## 4. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिशद (NAAC), बंगलुरु

### क. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (अनुसूची 16)

क.1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 1 (ए) के अनुसार, अवकाश नकदीकरण तथा कर्मचारियों के उपदान को नकद आधार पर लेखांकित किया जाता है। यह लेखांकन नीति मा.सं.वि.मं. के लेखों के प्रारूप तथा लेखांकन मानक 15 के प्रतिकूल है। जो यह दर्शाता है कि इन प्रावधानों को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ के लिये खातों में प्रविष्ट किया जाना चाहिये।

### ख सामान्य

संस्थान ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) लेखे तैयार नहीं किये हैं जो मा.सं.वि.मं. द्वारा निर्धारित लेखा प्रारूप के प्रतिकूल हैं।

5. सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र (INFLIBNET), गांधीनगर

क. तुलन पत्र

क.1 देयताएं

क.1.1 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची 3) –7.20 करोड़ रुपये

मा.सं.वि.मं. और लेखांकन मानक 15 द्वारा निर्धारित लेखों का प्रारूप दर्शाता है कि वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ हेतु लेखों में प्रावधान किया जाना चाहिये। लेकिन, केन्द्र को सेवानिवृत्ति लाभ हेतु प्रावधान तैयार करने के लिये कोई भी वास्तविक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों के लिये वांछित राशि संबंधित बजट में दर्शायी जायेगी तथा वि.अ.आ. को भेजी जायेगी। आयोग, वांछित राशि का आवंटन करेगा।

क.2.1 प्रशासनिक और सामान्य व्यय (अनुसूची 17) – 6.53 करोड़ रुपये

केन्द्र ने कुल अवमूल्यन प्रशासनिक और सामान्य व्यय में 4.05 करोड़ रुपये दिखाया है। इसके परिणामस्वरूप, अवमूल्यन व्यय के साथ-साथ प्रशासनिक व्यय में न्यूनोक्ति और सामान्य व्यय के रूप में 4.05 करोड़ रुपये की अत्युक्ति हुई।

ख सामान्य

केन्द्र ने केन्द्र खाता हेतु जीपीएफ और एनपीएस खाते के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाते का विवरण तैयार नहीं किया है जो मा.सं.वि.मं. द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के प्रतिकूल है।

6. इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, (आईयूसीएए), पुणे

क. तुलन पत्र

क.1 देयताएं

क.1.1 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची च)–34.15 करोड़ रुपये

मा.सं.वि.मं. और लेखांकन मानक 15 द्वारा निर्धारित लेखों का प्रारूप दर्शाता है कि वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ हेतु लेखों में प्रावधान किया जाना चाहिये। लेकिन, केन्द्र को सेवानिवृत्ति लाभ हेतु प्रावधान तैयार करने के लिये कोई भी वास्तविक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों के लिये वांछित राशि संबंधित बजट में दर्शायी जायेगी तथा वि.अ.आ. को भेजी जायेगी। आयोग, वांछित राशि का आवंटन करेगा।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से

केन्द्रीय व्यय लेखपरीक्षा महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

**प्रबंधन पत्र** : लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई कमियों को अलग से जारी एक पत्र के माध्यम से उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान के ध्यान में लाया गया है।

v. पूर्ववर्ती पैराओं में हमारी टिप्पणी के अध्यक्षीन, हम यह प्रतिवेदन करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र और आय-व्यय लेखे तथा प्राप्ति और भुगतान लेखे खाता-बही के अनुकूल हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन नीतियों तथा लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, उपर्युक्त वर्णित महत्वपूर्ण मामलों एवं इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यक्षीन, भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं

क. जहां तक यह दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मामले के तुलनपत्र का संबंध है और

ख. जहां तक उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के लिए आय तथा व्यय लेखा का संबंध है एक उचित तथा सटीक ब्यौरा उपलब्ध कराता है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से

केन्द्रीय व्यय लेखपरीक्षा महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

## अनुलग्नक

### 1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

- यूजीसी के क्षेत्रीय केंद्रों और इंटर विश्वविद्यालय केंद्रों का आंतरिक लेखा परीक्षा यूजीसी के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा आयोजित की जाती है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान 4 इकाइयों की योजना बनाई गई थी, जिनमें से 2017-18 के दौरान 2 यूनिट का ऑडिट किया गया था।

### 2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

यूजीसी के आंतरिक नियंत्रण को निम्नलिखित क्षेत्रों में मजबूती की जरूरत है: -

- यूजीसी की फिक्स्ड एसेट्स का भौतिक सत्यापन 2007-08 से नहीं किया गया है।
- सीआरओ, भोपाल का आंतरिक नियंत्रण नीचे वर्णित अपर्याप्त था
  - 12/1994 से 06/2017 की अवधि के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा के 19 पैरा अभी भी बकाया थे।
  - वार्षिक खातों में दर्शाया गया ऋण राशि।
  - लेजर बनाए रखा नहीं जा रहा है।
  - उपयोग में कोई लेखा पुस्तिका मैनुअल नहीं है।
  - डीएई का आंतरिक नियंत्रण, वैज्ञानिक शोध के लिए कंसोर्टियम, इंदौर अपर्याप्त था क्योंकि अनुपालन लेखा परीक्षा के 12 पैरा 2008 से 2017 तक लंबित थे और आंतरिक लेखापरीक्षा के 13 पैरा 1997-98 से 2014-16 तक लंबित थे।

### 3. निश्चित संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- फर्नीचर और फिक्स्चर और कंप्यूटर और यूजीसी के इसके सहायक उपकरण का भौतिक सत्यापन मार्च 2007 तक आयोजित किया गया है। पुस्तकें और प्रकाशन का भौतिक सत्यापन 2015 तक किया गया है।
- एजुकेशनल कम्युनिकेशन (सीईसी) के लिए कंसोर्टियम, नई दिल्ली ने मार्च 2016 तक फर्नीचर और फिक्स्चर और वाहनों का भौतिक सत्यापन और 2017-18 तक संयंत्र और मशीनरी और कंप्यूटर और उसके सहायक उपकरण जून 2016 तक भौतिक सत्यापन किया था। पुस्तकें और प्रकाशन का भौतिक सत्यापन सीईसी का दिसंबर 2017 तक किया गया था।
- आईयूएसी, दिल्ली की लाइब्रेरी किताबों को छोड़कर फिक्स्ड एसेट्स का भौतिक सत्यापन वर्ष 2017-18 के लिए आयोजित नहीं किया गया है।
- वर्ष 2017-18 के लिए डीएई की फिक्स्ड एसेट्स, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कंसोर्टियम, इंदौर का भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया है।

### 4. सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

- यूजीसी और आईयूएसी दिल्ली के उपभोग्य सामग्रियों और स्टेशनरी का भौतिक सत्यापन मार्च 2018 तक आयोजित किया गया था और कोई सामग्री की कमी की सूचना नहीं मिली थी।
- सीईसी के उपभोग्य सामग्रियों और स्टेशनरी का भौतिक सत्यापन मार्च 2016 तक आयोजित किया गया था। अप्रैल 2016 से मार्च 2018 तक उपभोग्य सामग्रियों और स्टेशनरी का भौतिक सत्यापन प्रक्रिया में है।

### 5. सांविधिक बकाया भुगतान के भुगतान में नियमितता

- खातों के मुताबिक सांविधिक बकाया राशि के संबंध में छह महीने से अधिक भुगतान 31.3.2018 तक बकाया नहीं था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से

केन्द्रीय व्यय लेखपरीक्षा महानिदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**  
**बहादुरशाह जफर माग नई दिल्ली-110 002**

**वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लेखापरीक्षा की टिप्पणी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उत्तर**

क्रम सं.	लेखापरीक्षा पैरा	टिप्पणियां
क. क.1 क.1.1	<p><b>तुलन पत्र</b> <b>निधि का आवेदन</b> <b>ऋण अग्रिम तथा जमा राशियां (अनुसूची 7)-4.40 करोड़ रुपए</b></p> <p>उपर्युक्त सावधि जमा (FDR) पर ब्याज के रूप में 2.38 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है। इसके बजाय, इसे वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत चित्रित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, ऋण अग्रिम और जमा राशि की न्यूनोक्ति तथा वर्तमान परिसम्पत्तियों में 2.38 करोड़ रुपये की अत्युक्ति हुई।</p>	<p>सावधि जमा (एफडीआर) पर उपार्जित ब्याज के रूप में 2.38 करोड़ रुपये की राशि वार्षिक लेखे की अनुसूची 6 में दर्शायी गई है। इसे भावी अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।</p>
ख. ख.1	<p><b>आय और व्यय खाता</b> <b>निवेश से आय 59.71 लाख रुपये</b></p> <p>उपरोक्त में, आय एवं व्यय लेखा सामान्य भविष्य निधि के संबंध में व्यय से अधिक अतिरिक्त आय के रूप में 59.71 लाख रुपये की राशि को शामिल किया गया है। यद्यपि, इसे सामान्य भविष्य निधि के तुलन पत्र में सामान्य भविष्य निधि (GPF) देयताओं के तहत ब्याज आरक्षित के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, आय के साथ-साथ मुख्य लेखे में पूंजीगत निधि की अत्युक्ति हुई तथा सामान्य भविष्य निधि देयताओं में 59.71 लाख रुपये की न्यूनोक्ति हुई।</p> <p>वि.अ.आ. ने निधि संबंधी कार्यकलाप का आकलन करने के लिये सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि का कोई भी आय एवं व्यय खाता तैयार नहीं किया है। यह वर्ष 2010-11 से इंगित किया जा रहा है, लेकिन अब तक आयोग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।</p>	<p>आयोग, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के किसी भी आय एवं व्यय लेखे को पृथक रूप से तैयार नहीं करता है। तदनुसार, अतिरिक्त राशि अर्थात् सामान्य भविष्य निधि निवेश पर अर्जित ब्याज सा.भ.नि. के सदस्यों को दी गई कम राशि के भुगतान को आयोग की आय में शामिल किया गया है।</p> <p>अनुपालन हेतु नोट किया गया।</p>
ग.	<p><b>महत्वपूर्ण लेखा नीतियां</b></p> <p>महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 5 के अनुसार, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में, प्रचलित प्रणाली के अनुसार, नकद आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ का लेखा जोखा रखा जाता है। यह लेखा संबंधी नीति लेखा मानक 15 और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित समान लेखा प्रारूप के विपरीत हैं, जिसके अनुसार बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ के लिए व्यवस्था की जाए।</p>	<p>भावी अनुपालन हेतु टिप्पणी नोट कर ली गई है।</p>
घ घ 1.	<p><b>सामान्य</b></p> <p>मा.सं.वि.मं. द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार, सामान्य भविष्य निधि और अंशदायी भविष्य निधि के लिये अलग-अलग खातों का अनुश्रक्षण करना चाहिए तथा खातों के नोट्स एवं उनके संदर्भ पृथक-पृथक रूप से खातों के नोट्स दिये जाने चाहिये। वि.अ.आ. ने सा.भ.नि. एवं अं.भ.नि. के लिये पृथक रूप से खाते अनुरक्षित किये हैं। लेकिन, वे मा.सं.वि.मं. द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुरूप नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, जीपीएफ एवं सीपीएफ की परिसम्पत्तियां एवं देयताओं को मुख्य लेखों में शामिल किया गया है, जो मा.सं.वि.मं. द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुरूप नहीं हैं।</p>	<p>भावी अनुपालन हेतु टिप्पणी नोट कर ली गई है।</p>



घ 2.	चिन्हित/वृत्तिदान निधियों की सूची (अनुसूची 2) की अनुसूची मा.सं.वि.मं. द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार तैयार नहीं की गई है। कुल प्राप्त (अतिरिक्त, निवेश से आय, उपार्जित ब्याज, बचत खातों पर ब्याज) और कुल व्यय (पूँजीगत व्यय, राजस्व व्यय) वर्ष के दौरान अनुसूची में नहीं दर्शाया गया है। इसके अलावा निधियों की शेष राशि को रोकड़/बैंक शेष, निवेश आदि में नहीं दर्शाया गया है।	भावी अनुपालन हेतु टिप्पणी नोट कर ली गई है।
घ 3.	राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त किए गए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार, आय और व्यय लेखों में आय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। यद्यपि, वि. अ.आ. ने सभी अनुदान (वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान और अप्रयुक्त अनुदान का प्रतिदाय वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये, जिसमें पूँजीगत व्यय में व्ययित अनुदान शामिल है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखा के प्रारूपों के प्रतिकूल है।	भावी अनुपालन हेतु टिप्पणी नोट कर ली गई है।
घ 4.	यू.जी.सी ने एम.एच.आर.डी के खातों के प्रारूप में निर्धारित दरों के बजाय आयकर अधिनियम में दी गई दरों के अनुसार अचल संपत्तियों पर मूल्यवृद्धि का आरोप लगाया है	भावी अनुपालन हेतु टिप्पणी नोट कर ली गई है।
ई.	<p><b>सहायता अनुदान (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)</b></p> <p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वित्तपोषण मुख्य तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2017-18 के दौरान, इसे 12041.83 करोड़ रुपए (मार्च, 2018 में 408.39 करोड़ रुपए प्राप्त हुए) तथा अव्ययित शेष के रूप में 723.31 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ, महाविद्यालयों/संस्थानों से वापसी की राशि के रूप में 260.49 करोड़ रुपए, 92.60 करोड़ रुपए आय के रूप में प्राप्त हुए। 13118.23 करोड़ रुपए की कुल उपलब्ध निधियों में से 12454.73 करोड़ रुपए उपयोग किया, इसके पास 663.50 करोड़ रुपए का अव्ययित शेष रहे।</p> <p>वर्ष 2017-18 के दौरान इसे निम्नलिखित मंत्रालयों से भी सहायता अनुदान प्राप्त हुए:</p> <p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अनुसूचित जाति के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति हेतु 225.40 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ (मार्च, 2018 में 25.40 करोड़ रुपए प्राप्त हुए) और इसके पास 0.01 करोड़ रुपए का अव्ययित शेष था। इसे बैंक से ब्याज तथा वापसी की राशि के रूप में 3.71 करोड़ रुपए भी प्राप्त हुए। 229.12 करोड़ रुपए की कुल उपलब्ध निधियों में से, इसने 215.98 करोड़ रुपए का उपयोग किया तथा 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, इसके पास 13.14 करोड़ रुपए का अव्ययित शेष है।</p> <p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अन्ध पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति हेतु 20.00 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और इसके पास 15.91 करोड़ रुपए का अव्ययित शेष था। इसे बैंक से ब्याज तथा वापसी की राशि के रूप में 0.63 करोड़ रुपए भी प्राप्त हुए। 36.54 करोड़ रुपए की कुल उपलब्ध धनराशि में से, इसने 25.09 करोड़ रुपए का उपयोग किया तथा 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार इसके पास 11.45 करोड़ रुपए का अव्ययित शेष है।</p>	यहां दर्शाये गये सभी आँकड़ों का अभिलेखों से सत्यापन कर लिया गया है।

<p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए 124.85 करोड़ रुपए (मार्च, 2018 में 25 करोड़ रुपए प्राप्त हुए) की अनुदान सहायता राशि प्राप्त हुई तथा इसके पास 0.57 करोड़ रुपए का अव्ययित शेष था। इसे बैंक से ब्याज तथा वापसी की राशि के रूप में 0.98 करोड़ रुपए की धनराशि भी प्राप्त हुई। 126.39 करोड़ रुपए की कुल उपलब्ध धनराशि में से इसने 97.45 करोड़ रुपए का उपयोग किया और 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार इसके पास 28.94 करोड़ रुपए का अव्ययित शेष है।</p> <p>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जनजातीय कार्य मंत्रालय से 0.12 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और इसके पास 28.00 करोड़ रुपए की अव्ययित शेष राशि थी। इसे बैंक से ब्याज तथा वापसी की राशि के रूप में 2.46 करोड़ रुपए की राशि भी प्राप्त हुई। कुल 30.58 करोड़ रुपए की उपलब्ध धनराशि में से इसने 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार 28.18 करोड़ रुपए का उपयोग किया तथा 2.40 करोड़ रुपए की अव्ययित शेष राशि रही।</p>	
---	--

## भाग—ख

### 1. कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन (CEC), नई दिल्ली।

<b>क.</b>	<b>सामान्य</b>	भावी अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखों की अनुदान अनुसूची 10 के संबंध में सुझाव दिया गया है।
<b>क.1</b>	उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मा.सं.वि.मं. द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार अनुदान और परिधान (अनुसूची 10) के अनुसार तैयार नहीं किए गए हैं।	
<b>क.2</b>	जीपीएफ और सीपीएफ की संपत्ति और देयताएं मुख्य खातों में शामिल की गई हैं जो मा.सं.वि.मं.द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के प्रतिकूल हैं। जीपीएफ/सीपीएफ का आय और व्यय खाता तैयार नहीं किया गया है।	भावी अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है, जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखों की अनुदान अनुसूची 10 के संबंध में सुझाव दिया गया है।

### 2. अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केन्द्र (IUAC), नई दिल्ली

<b>क.</b>	<b>तुलन पत्र</b>	अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।
<b>क.1</b>	<b>संपत्ति</b>	
<b>क.1.1</b>	<b>निश्चित संपत्तियां (अनुसूची 3)—164.51 करोड़ रुपये</b>	
	उपरोक्त में बिल्डिंग शीर्ष के तहत 49.10 करोड़ रुपये की राशि शामिल है जबकि रिकॉर्ड भूमि के अनुसार आईयूएसी के नाम पर नहीं है। भवन निर्माण के लिए भूमि के उपयोग के लिए आईयूएसी के पास जेएनयू के साथ एक समझौता है। नोट्स टू अकाउंट्स में इस तथ्य का खुलासा किया जाना चाहिए। यह पिछले वर्षों की रिपोर्ट में बताया गया था लेकिन कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	

### 3. UGC-DAE-कंसोर्शियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इन्दौर

<b>क.1</b>	<b>निधि का आवेदन</b>	लेखा-परीक्षा अवलोकन के अनुपालन में, परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण की प्रविष्टि के साथ-साथ स्थापना की तिथि से कथित परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन इस वर्ष 2018-19 में पारित किया जायेगा।
<b>क.2.1</b>	<b>अचल परिसम्पत्तियां (अनुसूची-4)—129.67 करोड़ रुपये</b>	
<b>(i)</b>	<b>पूंजीगत कार्य-प्रगति—22.56 करोड़ रुपये</b>	
	उपर्युक्त में 2.11 करोड़ रुपये (आईटीपीपीएमएस के पूर्ण / स्थापित कार्यों का मूल्य, कॉम्पैक्ट मिनी मीटर, सीसीटीवी सिस्टम, एयर कंडीशनर, एलईडी टीवी, सूखी वैक्यूम पंप एमएस बोल्ट इत्यादि)। यद्यपि, इस तरह के काम साल के दौरान पूरे/स्थापित किये गये। इसके परिणामस्वरूप, पूंजीगत कार्य-प्रगति में 2.11 करोड़ रुपये अत्युक्ति हुई तथा अचल परिसम्पत्तियों में 1.96 करोड़ रुपये की अत्युक्ति तथा व्यय (अवमूल्यन) में 0.15 करोड़ रुपये की न्यूनोक्ति हुई।	

#### 4. राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (NAAC), बेंगलुरु

<p>क. क.1</p>	<p><b>महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (अनुसूची 16)</b> महत्वपूर्ण लेखा नीति 1 (ए) कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी को नकद आधार पर माना जाता है। यह लेखांकन नीति एमएचआरडी और लेखा मानक 15 द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के उल्लंघन में है, जिसमें कहा गया है कि प्रावधान मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ के खातों में प्रावधान किए जाने चाहिए।</p>	<p>वि.अ.आ. द्वारा निर्देशित खातों में पेशन, अवदान और कर्मचारियों को देय अवकाश नकदीकरण की ओर कोई देयता नहीं है। प्रत्येक वर्ष वि.अ.आ. के निर्देशानुसार उस वर्ष सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेशन संबंधी लाभों के लिये वांछित राशि संबंधित बजट में दर्शायी जायेगी तथा वि.अ.आ. को भेजी जायेगी। आयोग वांछित राशि का आवंटन करेगा।</p>
<p>ख.</p>	<p><b>सामान्य</b> संस्थान ने एनपीएस खातों को तैयार नहीं किया है जो एमएचआरडी द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप का उल्लंघन है।</p>	<p>संस्थान ने नई पेशन योजना खातों को तैयार नहीं किया है जो मा.सं.वि.मं. द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप का उल्लंघन है। नई पेशन योजना खातों को निर्धारित प्रारूप में रखा जा रहा है। यद्यपि, किसी भी बदलाव की आवश्यकता है, तो अगले वर्ष से किया जायेगा।</p>

#### 5. सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र $\frac{1}{2}$ INFLIBNET गांधीनगर

<p>क. क.1 क.1.1</p>	<p><b>तुलन पत्र</b> <b>देयताएं</b> <b>वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 3) – 7.20 करोड़ रुपये।</b> एमएचआरडी और लेखा मानक 15 द्वारा निर्धारित खातों का प्रारूप निर्धारित करता है कि वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ के खातों में प्रावधान किया जाना चाहिए। लेकिन सेवानिवृत्ति लाभ के प्रावधान के लिए केंद्र ने कोई वास्तविक मूल्यांकन रिपोर्ट नहीं प्राप्त की है।</p>	<p>इन्फ्लिबनेट केंद्र में मा.सं.वि.मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिये अपने वार्षिक लेखों को तैयार किया है। सेवानिवृत्ति संबंधी देयताएं अर्थात् पेशन, उपदान और केंद्र के कर्मचारियों के लिये अवकाश नकदीकरण का प्रावधान नहीं किया गया है। यह नोट किया गया है कि सेवानिवृत्ति लाभ के लिये आवश्यक प्रावधान केंद्र के निर्णयानुसार किया जायेगा, दिये हुए स्पष्टीकरण को देखते हुए पैरा को कृपया छोड़ा जा सकता है।</p>
<p>क.2.1</p>	<p><b>प्रशासनिक और सामान्य व्यय (अनुसूची 17) – 6.53 करोड़ रुपये</b> केंद्र ने कुल अवमूल्यन प्रशासनिक और सामान्य व्यय में 4.05 करोड़ रुपये दिखाया है। इसके परिणामस्वरूप, अवमूल्यन व्यय के साथ-साथ प्रशासनिक व्यय में न्यूनोक्ति और सामान्य व्यय के रूप में 4.05 करोड़ रुपये की अत्युक्ति हुई।</p>	<p>केंद्र ने मा.सं.वि.मं. द्वारा निर्धारित केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के वार्षिक विवरणों के प्रारूप के अनुसार ही इसके वार्षिक लेखों को तैयार किया है। केंद्र ने 4.05 करोड़ रुपये के अवमूल्यन को प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय में दर्शाया है। उचित शीर्ष के अंतर्गत इसे दर्शाने के लिये इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यक पुनर्गठन के लिये नोट कर लिया गया है। उपरोक्त स्पष्टीकरण को देखते हुए इस पैरा को छोड़ा जा सकता है।</p>
<p>ख</p>	<p><b>सामान्य</b> केंद्र ने केंद्र खाता हेतु जीपीएफ और एनपीएस खाते के लिए प्राप्तियां और भुगतान खाते का विवरण तैयार नहीं किया है जो मा.सं.वि.मं. द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के प्रतिकूल है।</p>	<p>केंद्र ने, केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों हेतु मा.सं.वि.मं. द्वारा निर्धारित वित्तीय विवरणों के प्रारूप के अनुसार वार्षिक लेखा तैयार किया है। उपरोक्त प्रारूप में उपलब्ध विभिन्न अनुसूचियां केन्द्र के वार्षिक लेखों में केन्द्र द्वारा तैयार की गई हैं। यद्यपि, उपरोक्त लेखों हेतु प्राप्ति एवं भुगतान को प्रारूप से बाहर कर दिया गया है। इस पैरा को नोट कर लिया गया है तथा इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष से कार्यान्वित किया जायेगा। उपरोक्त स्पष्टीकरण को देखते हुए इस पैरा को छोड़ा जा सकता है।</p>

6. अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, (आईयूसीएए), पुणे

<p>क. क.1 क.1.1</p>	<p>तुलन पत्र देयताएं वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 3) –34.15 करोड़ रुपये। एमएचआरडी द्वारा निर्धारित खातों के प्रारूप के अनुसार और लेखा मानक 15 प्रावधान मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ के खातों में प्रावधान किया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र ने अभिनव मूल्यांकन विधि अपनाई नहीं है और सेवानिवृत्ति लाभ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।</p>	<p>एस-15 में, स्पष्ट तौर पर यह नहीं दर्शाया गया कि वास्तविक मूल्यांकन बीपीटी एवं सोसायटी पर लागू होता है या नहीं, तथापि यह IIUCAA के समान IUCAA लागू नहीं है तथा यह सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट या, सोसायटी के तहत पंजीकृत है। आईसीएआई के आवश्यक दृष्टिकोण को आपके तैयार संदर्भ हेतु यहां संलग्न किया गया है। तथापि, इस पैरा को छोड़ा जा सकता है।</p>
-----------------------------	--	--


## अनुलग्नक

<p><b>1.</b></p> <p>➤</p>	<p>आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता</p> <p>यूजीसी के क्षेत्रीय केंद्रों और इंटर विश्वविद्यालय केंद्रों का आंतरिक लेखा परीक्षा यूजीसी के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा आयोजित की जाती है।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं</p>
	<p>वर्ष 2017-18 के दौरान 4 इकाइयों की योजना बनाई गई थी, जिनमें से 2017-18 के दौरान 2 यूनिट का ऑडिट किया गया था।</p> <p>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता</p>	<p>02 इकाइयों का लेखा परीक्षण किया जा रहा है।</p>
<p><b>2.</b></p>	<p><b>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता</b></p> <p>यूजीसी के आंतरिक नियंत्रण को निम्नलिखित क्षेत्रों में मजबूती की जरूरत है: -</p> <p>यूजीसी की फिक्स्ड एसेट्स का भौतिक सत्यापन 2007-08 से नहीं किया गया है।</p>	<p>अनुपालन हेतु नोट कर ली गई है।</p>
<p>➤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>●</li> </ul>	<p>सीआरओ, भोपाल का आंतरिक नियंत्रण नीचे वर्णित अपर्याप्त था</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 12/1994 से 06/2017 की अवधि के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा के 19 पैरा अभी भी बकाया थे।</li> <li>● वार्षिक खातों में दर्शाया गया ऋण राशि।</li> <li>● लेजर बनाए रखा नहीं जा रहा है।</li> <li>● उपयोग में कोई लेखा पुस्तिका मैनुअल नहीं है।</li> <li>● डीईई का आंतरिक नियंत्रण, वैज्ञानिक शोध के लिए कंसोर्टियम, इंदौर अपर्याप्त था क्योंकि अनुपालन लेखा परीक्षा के 12 पैरा 2008 से 2017 तक लंबित थे और आंतरिक लेखापरीक्षा के 13 पैरा 1997-98 से 2014-16 तक लंबित थे:</li> </ul>	<p>अनुपालन हेतु नोट कर ली गई है।</p> <p>अनुपालन हेतु नोट कर ली गई है।</p> <p>अनुपालन हेतु नोट कर ली गई है।</p> <p>अनुपालन हेतु नोट कर ली गई है।</p> <p>लंबित कार्यों को निपटाने के लिये कार्रवाई की जा रही है।</p>
<p><b>3.</b></p>	<p>निश्चित संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली</p> <p>फर्नीचर और फिक्स्चर और कंप्यूटर और यूजीसी के इसके सहायक उपकरण का भौतिक सत्यापन मार्च 2007 तक आयोजित किया गया है। पुस्तकें और प्रकाशन का भौतिक सत्यापन 2015 तक किया गया है।</p>	<p>नोट कर ली गई है।</p>
	<p>एजुकेशनल कम्युनिकेशन (सीईसी) के लिए कंसोर्टियम, नई दिल्ली ने मार्च 2016 तक फर्नीचर और फिक्स्चर और वाहनों का भौतिक सत्यापन और 2017-18 तक संयंत्र और मशीनरी और कंप्यूटर और उसके सहायक उपकरण जून 2016 तक भौतिक सत्यापन किया था। पुस्तकें और प्रकाशन का भौतिक सत्यापन सीईसी का दिसंबर 2017 तक किया गया था।</p>	<p>नोट कर ली गई है।</p>
	<p>आईयूएसी, दिल्ली की लाइब्रेरी किताबों को छोड़कर फिक्स्ड एसेट्स का भौतिक सत्यापन वर्ष 2017-18 के लिए आयोजित नहीं किया गया है।</p>	<p>अनुपालन हेतु नोट कर ली गई है</p>

	वर्ष 2017-18 के लिए डीएई की फिक्स्ड एसेट्स, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कंसोर्टियम, इंदौर का भौतिक सत्यापन आयोजित किया गया है।	नोट कर ली गई है।
4.	सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली यूजीसी और आईयूएसी दिल्ली के उपभोग्य सामग्रियों और स्टेशनरी का भौतिक सत्यापन मार्च 2018 तक आयोजित किया गया था और कोई सामग्री की कमी की सूचना नहीं मिली थी।	नोट कर ली गई है।
	सीईसी के उपभोग्य सामग्रियों और स्टेशनरी का भौतिक सत्यापन मार्च 2016 तक आयोजित किया गया था। अप्रैल 2016 से मार्च 2018 तक उपभोग्य सामग्रियों और स्टेशनरी का भौतिक सत्यापन प्रक्रिया में है।	नोट कर ली गई है।
5.	सांविधिक बकाया भुगतान के भुगतान में नियमितता खातों के मुताबिक सांविधिक बकाया राशि के संबंध में छह महीने से अधिक भुगतान 31.3.2018 तक बकाया नहीं था।	नोट कर ली गई है।



(अरुण कुमार सिन्हा)  
अवर सचिव



(प्रकाश कुमार ठाकुर)  
वित्तीय सलाहकार

